HVS/26/3

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 फरवरी, 1996

खण्ड 1 अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 26 फरवरी, 1996

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1) 1
शोक प्रस्ताव	(1) 15
घोषणाएं-	
(क) अध्यक्ष द्वारा-	
(i) सदस्यों के त्याग-पत्र संबंधी	(1) 25
(ii) सभापतियों के नामों की सूची	(1) 25
(iii) याचिका समिति	(1) 25
(ख) सचिव द्वारा-	
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(1) 25
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1) 26
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गये कागज-पत्र	(1) 33

मूल्य :

पृष्ठ संख्या

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना ।

(i) श्री सम्पत सिंह, उस समय के एम० एल० ए० तथा प्रतिपक्ष के नेता के विरुद्ध (1) 36

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम० एल० ए० के विरुद्ध (1) 37

(iii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम० एल० ए० के विरुद्ध (1) 37

(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, उस समय के एम० एल० ए० के विरुद्ध (1) 38

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 26 फरवरी, 1996

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में 15.26 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की ।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : In pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly at 2.00 P.M. today, the 26th February, 1996 under Article 176 (i) of the Constitution.

A copy of the address is laid on the Table of the House.

"आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

हरियाणा विधानसभा के वर्ष 1996 के इस प्रथम अधिवेशन में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है । वैसे तो व्यक्तिगत रूप से मुझे आपसे पहले भी मिलने का अवसर मिला है, लेकिन राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के पश्चात् आप सबसे इस गरिमामय सदन में मिलने का यह मेरा प्रथम अवसर है । सर्वप्रथम, मैं आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ । इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे हरियाणा जैसे विकासोन्मुखी राज्य में कार्य करने का सुअवसर मिला है । मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर हरियाणावासियों के लिए एक उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य बनाने के लिए सतत प्रयास करेंगे ।

2. जैसा कि आप जानते हैं, मेरी सरकार ने 1991 के आम चुनाव में शान्ति, विकास और न्याय पर आधारित शासन के लिए जनादेश प्राप्त किया था । यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उस जनादेश का पालन करने में मेरी सरकार विशेष रूप से सफल रही है । विगत 5 वर्षों में सारे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति शान्तिपूर्ण रही है । उग्रवाद की विकराल चुनौती का हमने डटकर सामना किया है । जहाँ पड़ोसी राज्यों में उग्रवाद की विभीषिका ने साधारण जन-जीवन को बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया था, हमारे लिए यह संतोष की बात है कि हमारे राज्य में कुछेक छुटपुट घटनाओं को छोड़कर उग्रवाद अपनी जड़ जमा नहीं पाया । परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारण नागरिकों के मन में "विधि-सम्मत शासन" के प्रति आस्था पुनः प्रतिष्ठित हो सकी । वाणिज्य, व्यवसाय व औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते पूँजी निवेश के ज़रिए हमारे राज्य के शिक्षित नौजवानों के लिए जहाँ रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए गए, वहीं सुनियोजित कृषि-विकास योजनाओं द्वारा कृषि-उपज के क्षेत्र में हमने हर साल नए कीर्तिमान स्थापित

[श्री अध्यक्ष]

किए हैं । इसके फलस्वरूप, हरियाणा राज्य आज भारत के चोटी के विकसित राज्यों में गिना जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां उचित प्रयासों से हम अपने राज्य का द्रुत विकास सुनिश्चित कर सकेंगे । मुझे विश्वास है कि हमारा अनुभव केवल हमारे देश में ही नहीं, बल्कि समस्त विकासशील विश्व में उदाहरण के रूप में प्रशंसायोग्य होगा । संवेदनशील प्रशासन, प्रगतिशील विकास नीति, पिछड़े वर्गों का निरन्तर कल्याण तथा सामाजिक न्याय मेरी सरकार की प्रमुख नीति रही है। मेरी सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम में इन मूल तत्वों की झलक मिलती है । भविष्य में भी हर नीति का यही आधार रहेगा ।

3. वर्ष 1995 के दौरान प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति शान्तिपूर्ण बनी रही एवं आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना सम्पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो सकी । मेरी सरकार ने पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों को कम करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं । पिछले कुछ महीनों में राज्य के कुछ क्षेत्रों में आतंकवादियों की गतिविधियाँ पुनः सामने आई जिनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं । राज्य के पुलिस बल को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए मेरी सरकार ने पिछले वर्ष कई प्रयास किए हैं । राज्य पुलिस ने कई बमरोधी दस्ते बनाए हैं तथा सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण खरीदे हैं । अपराधों की छानबीन के दौरान वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है । मानवाधिकार हनन की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण के जरिए पुलिस बल को जागरूक किया जा रहा है । महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों की छानबीन हेतु सोनीपत में एक महिला थाना स्थापित हुआ है एवं अन्य मुख्य शहरों में भी ऐसे थाने खोलने का विचार है । पुलिस बल में भी अधिक संख्या में महिलाओं को नियुक्त किया गया है ।

4. माननीय सदस्यगण, गत वर्ष हमारे राज्य में हुई दो आपदाओं के बारे में, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा । अक्तूबर, 1995 में आई अभूतपूर्व बाढ़ से राज्य के काफी हिस्सों में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ इस आपदा से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई । 23 दिसम्बर, 1995 को डबवाली नगर में हुए भीषण अग्निकाँड में सैंकड़ों बच्चों एवं उनके अभिभावकों आदि की मृत्यु हुई । इन दुःखदायी दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ । मेरी सरकार ने इन आपदाओं से प्रभावित लोगों को तुरन्त सहायता पहुँचाने की अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया तथा भविष्य में ऐसी आपदाओं के निराकरण के लिए योजना बनाई है । इन आपदाओं से प्रभावित लोगों को उचित राहत देने के लिए मेरी सरकार ने राहत प्रणाली में जो संशोधन किए हैं, उनसे मेरी सरकार की संवेदनशीलता स्पष्ट दिखाई पड़ती है ।

5. अब कुछ ही महीनों में लोकसभा एवं कुछ राज्य की विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों के दौरान हरियाणा विधानसभा के लिए भी चुनाव होंगे। शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हर सरकार की एक संवैधानिक एवं नैतिक ज़िम्मेदारी है, जिसको निभाने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है। आज हमारा देश एक महत्वपूर्ण दौर से गुज़र रहा है । जहां पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं, वहीं कुछ प्रतिक्रियावादी तत्वों द्वारा राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन में धर्म व जाति के नाम पर आपसी भेदभाव व फूट डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समाज विरोधी तत्वों और विदेशी-प्रेरित उग्रवाद के प्रति सावधान रहना आज भी ज़रूरी है। कुछ दिनों से राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ अपराधीकरण हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। हम सभी को सार्वजनिक जीवन, विशेषकर

राजनैतिक क्षेत्र में निर्मल भावमूर्ति और नीतिगत राजनीति की प्रतिष्ठा के लिए वचनबद्ध होकर कार्य करना चाहिए ताकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए त्याग के फलस्वरूप मिली स्वतंत्रता एवं आदर्श की विरासत को हम और भी सुदृढ़ कर सकें ।

6. विकास की गति को तेज़ करके समाज के हर वर्ग को विकास के लिए अवसर प्रदान करना ही मेरी सरकार की मूल नीति रही है । उन्नत कृषि प्रणाली के विस्तार एवं किसानों को समुचित प्रोत्साहन के ज़रिए कृषि विकास एवं उपज में वृद्धि, सिंचाई एवं ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि, सुनियोजित सड़क परिवहन व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योगों का विकास एवं नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत द्रुत उद्योगीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक सेवाओं के द्वारा राज्यवासियों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के जीवन-स्तर को उच्चतर बनाने के लिए प्रयास करना मेरी सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य अंग रहा है ।

7. हमारा राज्य हरित क्रान्ति के क्षेत्र में अग्रणी रहा है । मुख्यतः राज्य के मेहनती किसानों के परिश्रम एवं मेरी सरकार की विस्तार शिक्षा, आधारभूत समर्थन और उन्नत कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन के फलस्वरूप हमारा कृषि उत्पादन हर वर्ष बढ़ता रहा है । गत खरीफ फसल में हानि के बावजूद राज्य में रबी की बहुत अच्छी फसल होने और वर्ष 1995-96 के खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की पूर्ण आशा है ।

मेरी सरकार राज्य की फसल पद्धति में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करती रही है ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके । इसलिए गन्ना व तिलहन जैसी नकदी फसलों, बागवानी, सब्जी तथा फूल उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है । मेरी सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप अब लगभग 20 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र में बागवानी हो रही है, जिससे एक लाख चालीस हज़ार टन का उत्पादन होगा । हरियाणा को खुंभी उत्पादन में अग्रणी राज्य होने का श्रेय प्राप्त है । इस वर्ष राज्य में 10800 टन खुंभी उत्पादन होने की आशा है । हमने फूलों की खेती को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किए हैं । राज्य के लोगों ने इस बारे में काफी उत्साह दिखाया है एवं 1995-96 में 1700 हैक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की जा रही है । राज्य में कुल 116 करोड़ रुपए की लागत से 10 निर्यातोन्मुखी खुंभी उत्पादन परियोजनाएँ स्थापित की जा रही हैं, जिनसे प्रतिवर्ष 15 हज़ार टन डिब्बा-बंद खुंभी का निर्यात होगा । ऐसे ही कुल 112 करोड़ रुपए के निवेश से 13 पुष्प निर्यात केन्द्र भी स्थापित किए जा रहे हैं । विगत कुछ वर्षों से राज्य में सब्जियों के उत्पादन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है । वर्ष 1995-96 में 90 हज़ार हैक्टेयर भूमि पर सब्जियों की खेती से 13 लाख 50 हज़ार टन का उत्पादन होने की आशा है । अब हरियाणा राज्य में सूरजमुखी की खेती लोकप्रिय हो रही है । वर्ष 1995-96 के दौरान 70 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती होने की आशा है जिससे एक लाख 5 हज़ार टन का उत्पादन होगा । इसी प्रकार खरीफ 1996 के दौरान एक हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जाएगी । गुड़गाँव एवं फरीदाबाद ज़िलों में लहसुन, टमाटर तथा प्याज की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है । नए बागवानी कार्यक्रम चलाने से किसानों की आय एवं रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हुई है ।

मेरी सरकार किसानों को उनकी उपज के उच्चतम मूल्य दिलाने हेतु भरसक प्रयास करती रही है । देश में गन्ने का उच्चतम मूल्य देने वाले राज्यों में से हरियाणा एक है । राज्य में चालू पिराई मौसम के दौरान 75 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया है । गेहूं एवं चने के लिए 1995-96 में यथाक्रम 380 एवं 700 रुपए का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है ।

कृषि उपज के कुशल विपणन के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल 100 मुख्य यार्ड, 178 सब यार्ड तथा 133 खरीद केन्द्र चला रहा है जिससे किसानों को कृषि-उत्पाद बेचने के लिए 5

[श्री अध्यक्ष]

किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ती । विपणन कार्य के साथ-साथ राज्य कृषि विपणन मण्डल भूलभूत सुविधाओं का भी विकास कर रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल द्वारा जुलाई, 1991 से मार्च, 1995 की अवधि में लगभग 11 करोड़ रूपये की लागत से 18 अनाज एवं सब्जी मंडियो का निर्माण-कार्य पूर्ण किया गया है और 10 अन्य मंडियो का निर्माण-कार्य निकट भविष्य में पूर्ण हो जाएगा। जुलाई, 1991 से नवम्बर, 1995 तक की अवधि में 65.85 करोड़ रूपये की लागत से मण्डल ने लगभग 1760 किलोमीटर लम्बी सड़को का निर्माण भी किया है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में मण्डल द्वारा 79 नगरों में सड़कों की मरम्मत के 535 कार्यों पर 13 करोड़ 70 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। मण्डल द्वारा वर्ष 1995-96 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु मण्डल द्वारा 812 लाख 51 हजार रूपए की लागत से लगभग 799 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत का कार्यक्रम बनाया गया है।

मण्डल द्वारा सोनीपत ज़िले के राई में 550 एकड़ क्षेत्र में एक सौ करोड़ रूपये की लागत से एक महत्वाकाँक्षी अत्याधुनिक सब्जी एवं फल विपणन एवं प्रोसेसिंग कॉम्पलैक्स का विकास किया जा रहा है। इससे उत्तरी भारत के फल तथा सब्जी उत्पादकों को अपनी उपज के विपणन में विशेष सुविधा होगी एवं इन उपजों पर आधारित उद्योगीकरण द्वारा आर्थिक विकास के नए अध्याय का शुभारम्भ हो पाएगा। इसी प्रकार, मण्डल द्वारा फूलों की नीलामी के लिए गुड़गाँव मे एक आधुनिक केन्द्र स्थापित करने बारे विचार किया जा रहा है जहाँ स्थानीय व विदेशी बाज़ार के लिए पुष्प उत्पादों का विपणन हो पाएगा।

8. वर्ष 1994-95 में राज्य में आर्थिक विकास की दर काफी उत्साहजनक रही है। वर्ष 1980-81 के स्थिर भावों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की सकल आय 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 7,252 करोड़ रुपये हो गई है। चालू भावों के आधार पर राज्य की सकल आय इसी अवधि में 17.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी है एवं लगभग 24,196 करोड़ रुपए हो गई है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में भी संतोषजनक वृद्धि हुई है। वर्ष 1994-95 में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय 1980-81 के स्थिर भावों के अनुसार 3,683 रुपये एवं चालू भावों के आधार पर 12,158 रुपये हो गई है। इन्हीं आँकड़ों से राज्य की द्रुत आर्थिक प्रगति का संकेत मिलता है।

9. मेरी सरकार ने अपनी वार्षिक योजनाओ में समाज सेवा एंव आधारभूत संरचना के निर्माण को परम अग्रता दी है। वर्ष 1995-96 में समाज सेवाओं के लिए कुल योजना राशि का 36.3 प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 20.8 प्रतिशत, सिंचाई एवं बाढ़ रोकथाम के लिए 19.8 प्रतिशत एवं कृषि व सम्बन्धित कार्यों के लिए 7.1 प्रतिशत राशि आबंटित की गई थी। वर्ष 1996-97 की वार्षिक योजना के लिए 1,375 करोड़ रुपए की राशि अनुभोदित की गई है। इस योजना में भी समाज सेवाओं एवं आधारभूत संरचना के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।

10. आबकारी व वाणिज्य कर राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत हैं। वर्ष 1995-96 के लिए आबकारी व वाणिज्य कर के लिए 1,784.05 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नवम्बर, 1995 तक विभिन्न मदों से लगभग 1,197 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई जो पिछले वित्तीय वर्ष में इस अवधि के दौरान वसूल की गई 1,036.33 करोड़ रुपए से 15.53 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में वाणिज्य कर की प्रणाली में सुगमता लाने हेतु एवं व्यापारीवर्ग व उपभोक्ताओं के हितों को दृष्टि में रखते हुए समय-समय पर मेरी सरकार ने कर नियमों एवं प्रणाली को सरल बनाया है व कई रियायतें एवं सुविधाएँ प्रदान की हैं।

उदाहरणस्वरूप, चालू वित्त वर्ष में साइकिल व उसके पुर्जों, स्वचालित दोपहिया वाहनों, सरसों, तोरिया, तिल, तारामीरा और सूरजमुखी के तेल, देसी व वनस्पति घी एवं नज़र के चश्मे के शीशे और फ्रेम पर बिक्री कर की दर को कम कर दिया गया है। आम नागरिकों तथा किसानों के हितों को दृष्टि में रखते हुए औषधियों, कृषि के लिए आवश्यक पम्प सैटों, फव्वारा सिंचाई संयंत्रों एवं ड्रिप सिंचाई उपकरणों पर भी बिक्री कर की रियायतें दी गई हैं। इसी प्रकार नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा के लिए आवश्यक ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल स्लेट व अन्य स्टेशनरी पर भी बिक्री कर की छूट दी गई है।

छोटे व्यापारियों को सहूलियत देने के उद्देश्य से सामान्य वर्ग के व्यापारियों के लिए बिक्री कर अदायगी की न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए वार्षिक कर दी गई है। इसी प्रकार, 5 लाख रुपए तक वार्षिक व्यवसाय करने वाले पंजीकृत व्यापारियों के लिए अप्रैल, 1995 से बिक्री कर की एकमुश्त अदायगी करने का प्रावधान किया गया है।केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत भी कुछ चीज़ों पर बिक्री कर की दर में कमी कर दी गई है।

11. वर्ष 1995-96 के लिए आबकारी से राजस्व हेतु 530 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध नवम्बर, 1995 तक इस वित्तीय वर्ष में 389.49 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है। मेरी सरकार नशाबन्दी को लागू करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष में 331 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव अनुसार उन ग्रामों की परिसीमा में शराब के ठेके नहीं खोले गए थे। इसी प्रकार, केवल हरियाणा पर्यटन निगम के होटलों एवं अन्य तीन या अधिक तारका वाले होटलों को बार लाइसेंस जारी किए गए थे। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार ने वर्ष 1996-97 में नशाबन्दी के लिए एक क्रान्तिकारी निर्णय लिया है। इसके फलस्वरूप आगामी वर्ष हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में शराब का कोई भी ठेका नहीं खुलेगा।

12. राज्य में हुए आर्थिक विकास के कारण लोगों की बचत की क्षमता भी बढ़ी है। मेरी सरकार के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप अल्प बचत के ज़रिए राज्य में पर्याप्त पूंजी निर्माण होता रहा है। चालू वर्ष के दौरान राज्य में अल्प बचत की लक्ष्य प्राप्ति आशानुरूप हुई है ।300 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में नवम्बर, 1995 तक 195 करोड़ रुपए की कुल अल्प बचत हुई है एवं आशा है कि वित्त वर्ष के अंत तक कुल 325 करोड़ रुपए की अल्प बचत होगी। इस लक्ष्य प्राप्ति की वजह से राज्य सरकार, केन्द्र से 1995-96 के दौरान 250 करोड़ रुपए की लंबी अवधि के ऋण ले पाएगी। यह ऋण राशि मेरी सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहायक होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे भी राज्य के सामूहिक हित के लिए अल्प बचत आन्दोलन को अपना व्यक्तिगत समर्थन एवं प्रोत्साहन दें।

13. वर्ष 1995 के दौरान प्रकृति हरियाणा प्रदेश के लिए उदार नहीं रही है। अगस्त के आखिरी दिनों एवं सितम्बर के पहले सप्ताह में हुई मूसलाधार वर्षा से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ आई। लोगों का कहना है कि हरियाणा में पिछले 100 वर्षों में शायद ऐसी भयावह बाढ़ नहीं आई थी। इस बाढ़ से 2,840 गाँव एवं 18 नगर प्रभावित हुए। 22 लाख एकड़ क्षेत्र, जिसमें 18 लाख एकड़ कृषि-क्षेत्र शामिल है, प्रभावित हुआ, 2 लाख बाईस हज़ार मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा 167 व्यक्तियों एवं 3 हज़ार से अधिक पशुओं की मृत्यु हुई। मेरी सरकार ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए समुचित कदम उठाए। जल-मग्न क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर रखा गया तथा उनकी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा किया गया। एक सप्ताह के लिए रोहतक, भिवानी और हिसार ज़िलों के प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर द्वारा खाद्यान्न, दवाइयों और पीने के पानी का वितरण किया गया। बाढ़-

[श्री अध्यक्ष]

प्रभावित क्षेत्रों में महामारी आदि के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए उपयुक्त मात्रा में औषधियों सहित चिकित्सकों के दल भेजे गए। बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों का जायज़ा लेने के बाद राज्य सरकार ने बाढ़ से राज्य को हुई क्षति के बारे में एक विस्तृत ज्ञापन भारत सरकार को प्रस्तुत किया । बाढ़ राहत के लिए केन्द्र सरकार ने तुरंत 570 करोड़ रुपए की सहायता की मंजूरी दे दी है जिसमें से 39.41 करोड़ रुपए के अनुदान, 300 करोड़ रुपए के स्वल्प अवधि के कर्ज़े एवं बाकी विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत अतिरिक्त राशि के रूप में है। राहत कार्य की समीक्षा करके सभी विभागों को मार्गदर्शन देने के लिए राज्य मुख्यालय पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों का एक "क्राईसेस मैनेजमेंट ग्रुप" बनाया गया।

इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना का मरम्मत कार्य युद्ध-स्तर पर किया गया है। सभी राष्ट्रीय मार्गों, राज्यमार्गों एवं अन्य मुख्य सड़कों को पुनः वाहन यातायात योग्य बनाया गया एवं पूरे राज्य में बिजली का आबंटन भी बहाल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना की मरम्मत एवं अन्य राहत के लिए पर्याप्त राशि दी गई है।

बाढ़-प्रभावित व्यक्तियों को उचित राहत देने के लिए राज्य सरकार ने राहत के नॉर्म में कई संशोधन किए हैं। मेरी सरकार ने ही 1993 में क्षतिग्रस्त पक्के एवं कच्चे मकानों के लिए राहत की राशि को यथाक्रम 600 एवं 400 रुपए से बढ़ाकर 2 हज़ार एवं 1,200 रुपए किया था। इस बार मेरी सरकार ने इस में फिर से वृद्धि करके सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए 10 हज़ार रुपए व कच्चे मकानों के लिए 5 हज़ार रुपए की राहत की घोषणा की है। इसी प्रकार, जहाँ पहले आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के एवं कच्चे मकानों के लिए यथाक्रम 2 हज़ार एवं 1,200 रुपए राहत दी जाती थी, इस बार इसके लिए यथाक्रम 5 हज़ार तथा 2,500 रुपए राहत दी गई। इस बार नॉर्म में संशोधन करके मृत पशुओं के लिए भी अधिक राहत राशि का आबंटन किया गया है। फसल की क्षति के लिए जहाँ पहले 400 रुपए प्रति एकड़ की दर से राहत दी जाती थी, इस बार इस के लिए एक हज़ार रुपए प्रति हैक्टेयर की राहत दी गई। क्षतिग्रस्त ट्यूबवेलों की मरम्मत के लिए भी पहले के 3 हज़ार रुपए की तुलना में इस बार 5 हज़ार रुपए की राहत दी गई है।

अपनी कल्याणकारी भूमिका को निभाते हुए मेरी सरकार ने इस बार कुछ नए वर्गों को भी राहत दी है। उदाहरणस्वरूप, बाढ़ से क्षतिग्रस्त खोखा एवं रेहड़ी वालों को 5 हज़ार रुपए, छोटे दुकानदारों को 10 हज़ार रुपए एवं बड़े दुकानदारों को 20 हज़ार रुपए की दर से राहत दी गई। बाढ़ से प्रभावित स्वरोज़गार में लगे नाई, मोची, मिस्त्री आदि को 500 रुपए की दर से राहत दी गई। जिन किसानों के खेतों से 30 नवम्बर तक बाढ़ के पानी की निकासी नहीं हो सकी, उनको 3 हज़ार रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से राहत दी जा रही है।

भविष्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एक दीर्घकालीन योजना बनाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है जो इस बारे में अपनी सिफारिशें देगी। साथ ही निकट भविष्य में बाढ़ से बचाव के लिए मेरी सरकार ने जून, 1996 तक 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

14. वर्ष 1992 की पशुगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल पशुधन 98.97 लाख है जिसमें 21.33 लाख गायें और 43.43 लाख भैंसें हैं। वर्ष 1966-67 की तुलना में राज्य में पशुओं की संख्या में 58 प्रतिशत एवं दुग्ध उत्पादन में 240 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान हरियाणा राज्य में प्रतिव्यक्ति

प्रतिदिन 602 ग्राम दूध उपलब्ध है। राज्य में कुक्कुट उत्पादन में भी असाधारण वृद्धि हुई है और इस समय 85 लाख कुक्कुट प्रति वर्ष का उत्पादन हो रहा है। राज्य में इस समय 546 पशु चिकित्सालय, 859 पशु औषधालय, 60 क्षेत्रीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा 751 पशु प्रजनन केन्द्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1995-96 के अंत तक राज्य में 20 और पशु चिकित्सालय खोलने तथा 80 पशु औषधालयों का दर्जा बढ़ाकर पशु चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव है।वर्ष 1995-96 में राज्य के सभी 110 खण्डों के मुख्यालयों पर पशुओं की रोग निदान प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव है। पशु विकास तथा प्रजनन कार्यक्रम के तहत हिमांकित वीर्य तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। देशी नस्ल की गायों को उन्नत करने के लिए आस्ट्रेलिया से बढ़िया नस्ल की उत्तम गुणवत्ता का हिमांकित वीर्य आयात किया गया है। प्रति यूनिट मत्स्य उत्पादन में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से है। राज्य में इस्तायली तकनीक से सघन मत्स्य पालन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

15. मेरी सरकार सहकारिता आन्दोलन को कृषि एवं आर्थिक विकास के साधन के रूप में अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चालू वित्त वर्ष में सहकारी समितियों द्वारा दिसम्बर, 1995 के अंत तक 1519 करोड़ रुपए फसल हेतु कर्ज़े के रूप में दिए गए हैं, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 718.27 करोड़ रुपए के कर्ज़े दिए गए थे। गैर-कृषि एवं बेरोज़गारी उन्मूलन योजनाओं के तहत सहकारी बैंकों द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में दो लाख बासठ हज़ार से अधिक बेरोजगार युवकों को स्वरोज़गार के लिए 200 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए। इसी प्रकार चालू वर्ष में दिसम्बर, 1995 के अन्त तक अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं ग्रामीण दस्तकारों को 463 करोड़ रुपए के कर्ज़े व 125 करोड़ रुपए के कृषि सम्बन्धित लम्बी अवधि के कर्ज़े स्वीकृत किए गए हैं।

16. राज्य में सिंचाई का विकास करना मेरी सरकार के लिए हमेशा प्राथमिक विषय रहा है। सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना हरियाणावासियों के लिए नितान्त आवश्यक है और मेरी सरकार इसे शीघ्र पूरा करवाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रही है। पंजाब क्षेत्र में इस नहर का 95 प्रतिशत निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है। शेष भाग को पूरा करवाने के लिए मेरी सरकार, केन्द्र और पंजाब सरकार से बारम्बार अनुरोध करती रही है। परन्तु इस बारे में पंजाब सरकार का रवैया अभी तक निराशाजनक रहा है। राबी-व्यास न्यायाधिकरण द्वारा 1987 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा को 3.83 एम०ए०एफ० पानी मिलना चाहिए। सतलुज-यमुना लिंक नहर का निर्माण कार्य पूरा न होने की वजह से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। राज्य के हितों की रक्षा के लिए आखिरकार मेरी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में नहर का निर्माण कार्य पूरा करवाने के लिए एक याचिका दायर की है। हमें आशा है कि इस मसले पर शीघ्र फैसला होगा एवं हरियाणा को न्याय मिलेगा।

विश्व बैंक की सहायता से राज्य में शुरू की गई हरियाणा जल संसाधन कंसोलिडेशन परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई के ढांचे का पुनरावस्थान, नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं उन्नत जल-निकास व्यवस्था हेतु कारगर पग उठाए जा रहे हैं। वर्ष 1994 से 2000 की अवधि में क्रियान्वित होने वाली इस परियोजना हेतु वर्ष 1996-97 में 208.49 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसी योजना के अन्तर्गत हथनीकुण्ड बैराज का निर्माण-कार्य भी शुरू किया गया है। पुराने ताजेवाला बांध के विकल्परूपी इस परियोजना का निर्माण-कार्य 1999 तक समाप्त हो जाएगा जिससे सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा। प्रदेश में अब तक 7,188 किलोमीटर लम्बी नहरों व खालों को पक्का किया गया है, जिससे 2,447 क्यूसिक पानी की बचत हुई है और 2.28 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है।

[श्री अध्यक्ष]

17. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति के महत्व के प्रति मेरी सरकार पूर्णतः सजग है। कृषि तथा उद्योगों के विकास के अनुरूप राज्य में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु मेरी सरकार ने राज्य में बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने एवं बिजली वितरण प्रणाली में संशोधन करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। फलस्वरूप, पिछले वर्ष की औसतन दैनिक 299 लाख यूनिट की तुलना में चालू वर्ष में दिसम्बर, 1995 के अंत तक औसतन दैनिक 340 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई।

फरीदाबाद में गैस-आधारित 400 मैगावाट की बिजली उत्पादन परियोजना के निर्माण के लिए मेरी सरकार राष्ट्रीय ताप बिजली निगम (एन०टी०पी०सी०) के साथ बिजली क्रय समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी है। यमुनानगर में 700 मैगावाट क्षमता की ताप बिजली परियोजना सम्बन्धी बिजली क्रय समझौते के मसौदे पर भी एक इस्रायली कम्पनी के साथ समझौता हुआ है। पानीपत में 210 मैगावाट की छठी यूनिट की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग के बारे में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है और शीघ्र ही हिसार में एक हज़ार मैगावाट क्षमता की ताप बिजली परियोजना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। एक निजी कम्पनी के साथ दादूपुर में 5 मैगावाट क्षमता के पन बिजली निर्माण के लिए भी बिजली क्रय समझौता हो चुका है।

बिजली वितरण के स्तर को उन्नत करने के लिए वितरण प्रणाली को भी मज़बूत बनाया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 132 के०वी० एवं 33 के०वी० के चार-चार उपकेन्द्रों को चालू किया गया तथा 220 के०वी० के एक एवं 66 के० वी० के दो उपकेन्द्रों का निर्माण-कार्य शीघ्र पूर्ण होने की आशा है।

18. माननीय सदस्यगण, हरियाणा राज्य का द्रुत औद्योगिक विकास समग्र देश के लिए अनुकरणीय दृष्टान्त बन गया है। मेरी सरकार औद्योगिक विकास को अधिक व्यवस्थित करने के उद्देश्य से अपनी उद्योग नीति में औद्योगिक संरचना निर्माण, मानव संसाधन के विकास एवं प्रशासनिक सरलता और गुणवत्ता पर विशेष बल दे रही है। साथ-साथ राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को त्वरान्वित करने के उद्देश्य से उन क्षेत्रों में इकाइयाँ स्थापित करने के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं। संरचना के निर्माण के लिए बावल एवं साहा में 2 विकास केन्द्र, गुड़गाँव में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, तकनीक पार्क एवं फरीदाबाद में इंडो-जर्मन पार्क आदि प्रमुख परियोजनाएँ विकसित की जा रही हैं। हरियाणा एवं समीप के क्षेत्रों के आयात-निर्यात की सुविधा के लिए हरियाणा भण्डारण निगम द्वारा रिवाड़ी में एक "इनलैण्ड कन्टेनर डिपो" स्थापित करने का विचार है, जिस पर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कार्य आरम्भ हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए छोटे उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए कर-प्रणाली को एवं ज़िला व राज्य स्तर पर औद्योगिक स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इन नीतियों के परिणामस्वरूप अब हरियाणा में 767 बड़ी तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ एवं एक लाख सैंतीस हज़ार से अधिक लघु उद्योग इकाइयाँ हैं जिनमें नौ लाख पैंतालीस हज़ार व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इन में से लगभग बावन हज़ार छोटी इकाइयाँ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं, जिनसे 1,30,000 लोगों को सीधे रोज़गार उपलब्ध है। मेरी सरकार की उदार औद्योगिक नीति के फलस्वरूप पिछले 4 सालों में 290 बड़ी तथा मध्यम दर्जे की इकाइयाँ स्थापित हुई हैं, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हरियाणा राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए जुलाई, 1991 से अब तक भारत सरकार के पास 1424 उद्यमों के ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इन प्रस्तावों में 16,490

करोड़ रुपए के पूँजी निवेश से दो लाख 56 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलने का अनुमान है। पिछले चार सालों में पूर्ण निर्यातोन्मुखी 166 इकाइयों की भी स्थापना हुई है। मेरी सरकार द्वारा आरम्भ की गई "एक परिवार, एक रोज़गार योजना" के अन्तर्गत 5 सालों में उद्योग के क्षेत्र में एक लाख 50 हज़ार लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए गए है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य की उपलब्धि महत्वपूर्ण रही है। हरियाणा राज्य में पिछले दो वित्तीय वर्षों में इस योजना से 5,395 व्यक्तियों को लाभ मिला एवं चालू वित्त वर्ष में 7200 व्यक्तियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

19. मेरी सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षित और कुशल श्रम शक्ति उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना चला रखी है।इस परियोजना के तहत उतावड़, नारनौल एवं हिसार में 3 नई सहशिक्षा बहुतकनीकी संस्थाएँ एवं फरीदाबाद में महिला बहुतकनीकी संस्थान स्थापित किए गए हैं। राज्य में 12 अन्य बहुतकनीकी संस्थानों में भवन, छात्रावास एवं मशीनरी आदि का आधुनिकीकरण किया गया है। इन तकनीकी संस्थाओं द्वारा 27 नए डिप्लोमा-उत्तर प्रशिक्षण शुरू किए गये हैं। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में प्रबन्धक स्तर पर जनशक्ति जुटाने हेतु हरियाणा लोक प्रशिक्षण संस्थान ने जापानी सहयोग से गुड़गाँव में मैनेजमैंट प्रशिक्षण के लिए योजना बनाई है। पहले इस संस्थान द्वारा विदेशी भाषा पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया था। मेरी सरकार की स्वीकृति से इस साल मुलाना, रोहतक एवं रादौर में निजी क्षेत्र के तीन इंजीनियरिंग महाविद्यालय कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं। वर्ष 1996-97 में कुरुक्षेत्र, जींद, रिवाड़ी एवं पंचकूला में बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने का विचार है।

राज्य में अभी कार्य कर रहे 169 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को उचित गुणवत्ता के औद्योगिक प्रशिक्षण देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। हरियाणा के युवाओं की योग्यता बढ़ाने के साथ-साथ प्रशिक्षित श्रम शक्ति की आवश्यकता एवं उपलब्धता में समन्वय करने हेतु मेरी सरकार व्यावसायिक शिक्षा पर बल दे रही है। अभी राज्य में 98 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं जिनमें से 20 नए संस्थानों की चालू वर्ष में स्थापना की गई है। मेरी सरकार के प्रयत्न से शिक्षु अधिनियम के तहत विभिन्न निजी उद्योगों में इस समय 4542 शिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण के स्तर को उत्तम बनाने के लिए "कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज" एवं 7 अन्य औद्योगिक संस्थाओं के साथ मेरी सरकार के हुए समझौते के अन्तर्गत 95 प्रशिक्षकों एवं 1434 विद्यार्थियों को इन संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

20. मेरी सरकार द्वारा वर्ष 1992 में शुरू की गई "एक परिवार, एक रोज़गार योजना" के अन्तर्गत सितम्बर, 1995 तक 3.5 लाख के लक्ष्य की तुलना में कुल 4.12 लाख बेरोज़गारों को स्वरोज़गार, निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में नौकरी तथा कार्यदिवस-आधारित रोज़गार के ज़रिए लाभान्वित किया गया है। बेरोज़गार युवाओं को निजि क्षेत्र मे नियोजित करने के लिए मेरी सरकार ने पंजीकरण को अधिक सरल बनाया है और निजी क्षेत्र में सम्प्रेषण के लिए अलग ब्यूरो की स्थापना की है।

रोज़गार दिलाने के साथ-साथ मेरी सरकार ने राज्य के श्रमिक वर्ग के हितों का भी विशेष ध्यान रखा है। राज्य में न्यूनतम वेतन सम्बन्धी नियमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने से अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में प्रतिमास 200 रुपए से भी अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे उनका मासिक वेतन 1119.60 रुपए से बढ़कर 1325 रुपए हो गया है। औद्योगिक सुरक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किए गए प्रयत्नों से राज्य में औद्योगिक दुर्घटना की दर 1992 के 4.7 प्रति हज़ार श्रमिक से घटकर 1995 में 2.3 प्रति हज़ार श्रमिक हो गई है। यह दर राष्ट्रीय औसत दुर्घटना दर से काफी नीचे है।विपद-जनक तथा विषाक्त

[श्री अध्यक्ष]

परिचालन वाले उद्योगों में बाल श्रमिकों की प्रथा के उन्मूलन के लिए मेरी सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन क्रियान्वयन योजना बनाई है। सरकार के सजग एवं सतत प्रयासों से राज्य में औद्योगिक शान्ति व सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा है जिससे राज्य का विकास और तेज हुआ है।

21. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार के सभी कार्यक्रमों को हरियाणा राज्य में उचित रूप से क्रियान्वित करके मेरी सरकार राज्य के गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करने का प्रयास कर रही है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में दिसम्बर, 1995 के अंत तक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 13,704 परिवारों को सहायता दी गई तथा ट्राइसेम स्कीम के अधीन दिसम्बर, 1995 के अंत तक 1960 ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया गया है । जवाहर रोज़गार योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में दिसम्बर, 1995 के अंत तक 15.94 लाख श्रम दिवस जुटाए गए। खेती-मंदी के मौसम में ग्रामीणों को लाभदायक रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा के 44 विकास खण्डों में रोज़गार आश्वासन योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में दिसम्बर, 1995 तक 31.16 लाख श्रम दिवस जुटाए गए हैं। हरियाणा के सभी ज़िलों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए "डवाकरा" स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक गतिविधियों के लिए 3,264 महिला समूहों का गठन किया जा चुका है, जिनमें 40,357 महिला सदस्य हैं। इन महिला समूहों एवं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों को विपणन सहायता प्रदान करने हेतु 7 ज़िलों में जिला विपणन और वितरण समितियाँ भी बनाई गई हैं।

22. मैं पहले ही सामाजिक सेवा क्षेत्र के प्रति मेरी सरकार की प्रथम अग्रता के बारे वार्षिक योजना के संदर्भ मे चर्चा कर चुका हूँ। मेरी सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा के लिए उपाय करते हुए, विशेषकर महिलाओं का विकास एवं अस्मिता बढ़ाने तथा कमज़ोर वर्गों को सामाजिक व आर्थिक न्याय देने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

मेरी सरकार ने अहीर (यादव), लोध (लौधा), सैनी, गुज्जर तथा मेव जैसी 5 जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया है एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की सरकारी सेवा में सीधी भर्ती हेतु पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है। इसी प्रकार शैक्षिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती हेतु पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दी गई है। पिछड़े वर्गों में शामिल विभिन्न जातियों में आरक्षण के मामले में सँतुलन रखने के लिए इनको दो भागों में बाँटा गया है ताकि पिछड़े वर्गों में शामिल प्रत्येक जाति को रोज़गार एवं शैक्षणिक संस्थानों आदि में प्रवेश का उचित अवसर मिल सके।

गत अगस्त में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आरम्भ की गई राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं राष्ट्रीय प्रसूति सेवा योजना के क्रियान्वयन के लिए भी मेरी सरकार कार्यवाही कर रही है।

महिला तथा बाल विकास पर विशेष बल देते हुए मेरी सरकार ने हरियाणा के 106 ग्रामीण एवं 5 शहरी खण्डों में एकीकृत बाल विकास योजना लागू की है। महिलाओं के आर्थिक विकास एवं सामाजिक स्तर में उन्नति के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से 1994-95 से राज्य के कुछ ज़िलों में "इंटेग्रेटिड वीमेन्स इम्पावरमैंट एण्ड डिवैल्पमैंट प्रोजैक्ट" आरम्भ किया गया था। इस योजना के लिए 1996-97 में 404.36 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार ने वर्ष 1994-95 में "अपनी

बेटी अपना धन" नामक एक अग्रगामी योजना शुरू की थी। जैसा कि आपको विदित है कि परिवार तथा समाज में बालिका की स्थिति को सुधारना ही इस योजना का मूल उद्देश्य है। पहले इस योजना के अन्तर्गत अधिकांश अनुसूचित जातियों के परिवार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार लाभ के पात्र थे। अब मेरी सरकार ने पिछड़ी जातियों के अधिकांश परिवारों को भी इस योजना के लिए लाभ-पात्र घोषित किया है। मुझे आशा है कि सरकार के समूचे प्रयास के कारण एवं इस योजना के फलस्वरूप हमारे राज्य में नारी एंव विशेषकर बालिका का जीवन-स्तर उन्नत हो पाएगा।

23. मेरी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एंव उनमें सुधार लाने के लिए प्रयास कर रही है। इस समय राज्य में 2299 उपकेन्द्र, 399 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 63 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 26 औषधालय एंव 47 अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है। मेरी सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में जन्म दर 1971 के 42.1 प्रति हज़ार से घटकर 1993 में 30.6 प्रति हज़ार हो गई है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर घटकर 1993 में 65 प्रति हज़ार हो गई है। मेरी सरकार ने शिशु मृत्यु दर को और घटाकर 60 प्रति हज़ार तक लाने का लक्ष्य बनाया है। परिवार कल्याण योजनाओं के साथ-साथ टेटनस, अतिसार, दृष्टिहीनता, मलेरिया, पोलियो एवं एड्स आदि बीमारियों की रोकथाम के लिए भी विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। 9 दिसम्बर, 1995 तथा 20 जनवरी, 1996 को चलाए गए पोलियो विरोधी अभियान के अन्तर्गत राज्य के 3 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को खुराक पिलाई गई। देशभर के इस अभियान में हरियाणा राज्य पहले दौर में प्रथम और दूसरे दौर में द्वितीय स्थान पर रहा। प्रयोगात्मक रूप से आरम्भ की गई चल औषधालय (Mobile Dispensary) योजना विशेष लोकप्रिय हुई है एवं इस योजना का विस्तार किया जा रहा है।

रोहतक स्थित पं० भगवत दयाल शर्मा मेडीकल कॉलेज राज्य में आयुर्विज्ञान शिक्षा का प्रमुख संस्थान है। मेरी सरकार इस संस्थान में कई आवश्यक विधाओं में विस्तार कर रही है। उल्लेखनीय है कि ट्रॉमा पीड़ितों के उपचार के लिए एक अलग ट्रॉमा दुर्घटना सेवा खण्ड का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

24. माननीय सदस्यगण, व्यक्ति एवं समाज के विकास के लिए शिक्षा की भूमिका अति अहम है। इसे ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन दिया है तथा प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया है। अब हरियाणा में कुल 8,533 प्राथमिक विद्यालय हैं तथा औसतन 1.20 किलोमीटर की परिधी में एक प्राथमिक विद्यालय कार्य कर रहा है। नैतिक आदर्श-मूलक जीवन की नींव डालने के उद्देश्य से विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में आरम्भ किया गया है।

वर्ष 1994-95 में 23.40 लाख एवं 1995-96 में 24.18 लाख बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में दाखिल किया गया है। चालू वर्ष में 201 राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय खोले गए एवं 146 प्राथमिक विद्यालयों, 160 मिडिल विद्यालयों तथा 150 उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया।

विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1994-95 में कैथल, जींद, हिसार और सिरसा ज़िलों में शुरू किए गए ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ष 1995-96 में भारत सरकार से 18.36 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इस कार्यक्रम की पूरी अवधि में 160 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

पिछले वर्ष प्रधानमंत्री महोदय द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का शुभारम्भ हरियाणा राज्य से ही किया गया था। विद्यालयों में बच्चों का दाखिला बढ़ाना, उनकी उपस्थिति एवं पढ़ाई को जारी रखना तथा पोषण स्तर को उन्नत करना इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। राज्य के रोहतक, भिवानी, हिसार, सोनीपत, महेन्द्रगढ़ तथा रिवाड़ी ज़िलों में 44 आर०पी०डी०एस० खण्डों में 3180 राजकीय विद्यालयों के लगभग 6 लाख विद्यार्थियों को इससे लाभ हो रहा है।

[श्री अध्यक्ष]

शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेल-कूद तथा अन्य वार्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा मेधावी एवं गरीब छात्रों को विभिन्न स्कीमों के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस समय राज्य में करनाल को छोड़कर अन्य सभी ज़िलों में साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है एवं वर्ष 1996-97 से करनाल जिले में साक्षरता कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है। पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के लिए इस वर्ष एक करोड़ रुपए उपलब्ध की जा रही है।

25. उत्तम यात्री सेवा एवं परिचालन लागत में किफायत के आधार पर हरियाणा परिवहन देश की सर्वोत्तम परिवहन सेवाओं में से एक है। इस समय लगभग 2,000 मार्गों पर हरियाणा परिवहन द्वारा 3,854 बसें चलाई जा रही हैं। ये बसें प्रतिदिन 11.70 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और इनमें लगभग 16.4 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए चालू वित्त वर्ष में 450 पुरानी बसों को बदला जा रहा है एवं 1996-97 के दौरान 501 बसें बदली जाएंगी। परिवहन सेवा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोज़गार देने के लिए मेरी सरकार द्वारा बेरोज़गार युवकों की सहकारी समितीयों को ज़िले के अन्दर सम्पर्क मार्गों पर बसें चलाने हेतु परमिट दिए गए हैं 1 नवम्बर, 1995 के अंत तक लगभग 937 मार्गों पर ऐसी परिवहन सेवाएँ शुरू की गई हैं। हरियाणा परिवहन द्वारा लंबी दूरी के यात्रियों के लिए एक्सप्रैस बसों का विस्तार करके अभी तक 637 एक्सप्रैस बसें चलाई गई हैं। यात्रियों को आवश्यक सुविधाएँ देने के लिए 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर आधुनिक बस अड्डों का निर्माण किया गया है एवं यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर गतिसीमा निश्चित करना, राज्य परिवहन की बसों में गति निर्धारक लगाना, महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़क सुरक्षा बारे सूचना पट्टिकाएँ लगाना तथा चालकों का दृष्टि-परीक्षण और प्रशिक्षण आदि सड़क सुरक्षा के विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

राज्य पुलिस द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुगम वाहन यातायात एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राजमार्गों पर कई स्थानों में यातायात सहायता केन्द्रों की स्थापना की गई है जहाँ क्रेन एवं एम्बुलैंस की सेवाएँ उपलब्ध हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए विडियो कैमरा लगाने का भी प्रस्ताव है।

26. हरियाणा राज्य में अच्छी सड़कें बनाने के कार्य को हमेशा प्रथम अग्रता दी गई है जिसके फलस्वरूप आज पूरे राज्य में 22,452 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछ गया है। पिछले साढ़े चार सालों में मेरी सरकार द्वारा 643 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई गई हैं, 10,073 किलोमीटर लंबी सड़कों पर नवीकरण परत बिछाई गई है और 1,098 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा करके सुधारा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 1 की 65.5 किलोमीटर लंबी सड़क को चारमार्गी बनाया गया है तथा आशा है कि करनाल से अंबाला तक के बाकी चरण का कार्य वर्ष 1998 तक पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 2 के 14 किलोमीटर मार्ग को चारमार्गी बनाया गया है और बाकी चरण जून, 1996 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 8 व 10 को चारमार्गी बनाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

पिछले अगस्त-सितम्बर, 1995 में हुई मूसलाधार वर्षा एवं बाढ़ की वजह से राज्य की सड़कों को भारी क्षति हुई थी। सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए मेरी सरकार ने कदम उठाए हैं। सभी क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु 70 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों एवं मुख्य ज़िला सड़कों पर 80 प्रतिशत मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है और बाकी सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों

की मरम्मत जारी है। मेरी सरकार विश्व बैंक की सहायता से 450 करोड़ रुपए की लागत वाली एक 'राज्य सड़क परियोजना' आरम्भ करने के लिए कार्यवाही कर रही है। "निर्माण, परिचालन एवं अन्तरण" आधार पर दिल्ली-अम्बाला मार्ग के निर्माण के लिए मेरी सरकार ने मलेशिया के मैसर्ज रेमॉग के साथ आर्थिक अनुशीलन के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

27. मेरी सरकार ने मार्च, 1992 तक सभी 6,745 गावों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी थी। अब मेरी सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी गाँवों को कम से कम 40 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आपूर्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 1995-96 में 800 गाँवों में पेयजल का यह आपूर्ति स्तर बनाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार मरुस्थल विकास परियोजना के अन्तर्गत हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, महेन्द्रगढ़ तथा रिवाड़ी में पशुधन को भी प्रयाप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 310 गाँवों में पेयजल की मात्रा 70 लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ा दी गई है। इन गाँवों में घरों में भी निजी नलके देने का प्रस्ताव है, जिससे यहाँ की पेयजल सुविधा शहरी क्षेत्रों जैसी हो जाएगी। राज्य में 5 हज़ार से अधिक आबादी वाले 405 बड़े गाँवों में 110 लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन तक पेयजल आपूर्ति करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। वर्ष1995-96 में इस योजना के अन्तर्गत 11 ऐसे बड़े गाँवों में 7.34 करोड़ रुपए की लागत से यह आपूर्ति की जाएगी। साथ ही 100 से अधिक जनसंख्या वाली ढ़ाणियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य भी शुरू किया गया है तथा चालू वित्त वर्ष में 200 ऐसी ढ़ाणियों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेरी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों में 40 लिटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है एवं इसके लिए विभिन्न स्रोतों से वित्तीय साधन जुटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख 65 हज़ार शौचालयों तथा अपने साधनों से शहरी क्षेत्रों में 55,265 शौचालयों का निर्माण किया गया है जो एक सराहनीय उपलब्धि है।

आंशिक रूप से मल-निष्कासन सुविधायुक्त 40 शहरों में इस दिशा में और सुधार के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने भारत सरकार की सहायता से यमुनानगर, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गाँव तथा फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में मल-शुद्धिकरण के लिए विशेष परियोजना बनाई है। 133 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के इस कार्यक्रम को चालू वित्त वर्ष में पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड द्वारा छछरौली, इन्द्री, रादौर, पलवल एवं घरौंडा भी में मल-निष्कासन एवं शुद्धिकरण के संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है।

28. चालू वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों में विभिन्न वर्गों के लिए दो हज़ार मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार वर्ष 1996-97 में राज्य में विभिन्न वर्गों के लिए तीन हज़ार और मकान बनाने की योजना है। मेरी सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनूसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मकान बनाने के लिए मुफ़्त ज़मीन देती है। उनको मकान बनाने के लिए ऋण एवं अनुदान भी दिए जाते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1995-96 में 6 नए रिहायशी सैक्टरों एवं 3 औद्योगिक सैक्टरों का सृजन किया है। भविष्य में शहरीकरण के लिए चालू वित्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा 3,800 एकड़ ज़मीन का अभिग्रहण करने का लक्ष्य है।

29. पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए भी मेरी सरकार कार्यरत है। चालू वित्त वर्ष में कुण्डली औद्योगिक क्षेत्र में साँझा जल-शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है एवं वर्ष 1996-97 में जींद, समालखा एवं अम्बाला में ऐसी परियोजनाएँ क्रियान्वित की जाएंगी। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम), वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम), वन संरक्षण अधिनियम तथा वन्य प्राणी परिरक्षण

[श्री अध्यक्ष]

अधिनियम के अन्तर्गत मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए मेरी सरकार ने फरीदाबाद में एक विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की है तथा निकट भविष्य में हिसार में एक और न्यायालय की स्थापना की जाएगी। पर्यावरण शिक्षा एवं जागृति के लिए जिला पर्यावरण समितियों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। मेरी सरकार राज्य में वायु, भूमिगत जल एवं जल स्रोतों की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करवा रही है। यह रिपोर्ट पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखने हेतु आवश्यक नीतिनिर्धारण में सहायक होगी। मेरी सरकार निजी औद्योगिक इकाइयों तथा नगरपालिकाओं को प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिसके फलस्वरूप चालू वर्ष में 50 औद्योगिक इकाइयाँ जल-शोधन एवं प्रदूषण नियंत्रक संयंत्र लगाएंगी।

30. माननीय सदस्यगण, क्रीड़ा क्षेत्र में हरियाणा ने देश में काफी गौरव प्राप्त किया है। मेरी सरकार द्वारा खेलों के लिए प्रदान की गई सुविधाओं और राज्य के युवाओं की स्वाभाविक क्षमता के मेल से कई ऐसे उच्चकोटि के खिलाड़ी उभरे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के लिए गौरव अर्जित किया है। राज्य में इस समय 400 से अधिक क्रीड़ा प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं और नए उभरते खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए छात्रावासों तथा भर्सरियों की स्थापना की गई है। खेल के प्रोत्साहन के लिए मेरी सरकार प्रतिवर्ष राज्य के पाँच उत्कृष्ट खिलाड़ियों को "भीम पुरस्कार" दे रही है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए भी मेरी सरकार ने नीति बनाई है।

31. सरकार की हर योजना की सफलता कर्मचारियों की निष्ठा तथा कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। इसलिए मेरी सरकार द्वारा कर्मचारियों की व्यक्तिगत कार्यकुशलता के लिए उन्हें हरियाणा लोक प्रशिक्षण संस्थान के ज़रिए समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में भी मेरी सरकार हमेशा सहानुभूतिशील रही है एवं पिछले साढ़े चार सालों में कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में विसंगतियों को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों एवं भत्तों आदि की दर में संशोधन करने के लिए एक राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया है। साथ-साथ मेरी सरकार ने अभी तक विभिन्न किस्तों में कर्मचारियों को प्रतिमास 220 रुपए एवं मूल वेतन का 10 प्रतिशत अंतरिम राहत के रूप में देने का फैसला किया है। मेरी सरकार की यह अपेक्षा है कि कर्मचारी विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने में अपना सहयोग देंगे तथा राज्य के द्रुत विकास में अपनी भागीदारी को उचित रूप से निभाएँगे।

माननीय सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार के नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण को संक्षिप्त रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि इस अभिभाषण में व्यक्त मुद्दे इस गरिमामय सदन में परिचर्चा का ठोस आधार बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में आप पूर्ण योगदान करेंगे और राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग देंगे।

मैं सदन की कार्यवाही की सफलता की कामना करता हूँ।

जय हिन्द !"

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now the Chief Minister will make obituary references.

डबवाली अग्निकांड के पीड़ित

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : यह सदन 23 दिसम्बर, 1995 को ज़िला सिरसा के मण्डी डबवाली शहर में डी०ए०वी० स्कूल द्वारा आयोजित एक वार्षिक समारोह के दौरान हुए अग्निकांड के हृदय विदारक हादसे में 438 लोगों, जिनमें अबोध बच्चे तथा उनके अभिभावक, अध्यापक और सरकारी कर्मचारी शामिल थे, की दर्दनाक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करता है और इस हादसे में घायल हुए उपचाराधीन लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है।

जिन बच्चों को कल राष्ट्र का उत्तरदायित्व सम्भालना था तथा जिन अध्यापकों एवं अभिभावकों को इन का भविष्य संवारना था, वे इस घटना के शिकार हो गए। इस घटना से पूरा देश गहरे शोक में डूब गया। पूरा पंडाल जल कर नष्ट हो गया। इस तरह की घटना पूरी दुनिया में कभी भी नहीं घटी। हमारे प्रधान मंत्री भी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उस शोक सभा में स्वयं मंडी डबवाली आए। कई अन्य देशों से भी शोक प्रस्ताव प्राप्त हुए।

यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

राव बंसी सिंह, हरियाणा के मन्त्री

यह सदन हरियाणा के मन्त्री राव बंसी सिंह के 20 जनवरी, 1996 को हुए आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

राव बंसी सिंह का जन्म 29 जुलाई, 1931 को ज़िला महेन्द्रगढ़ के गांव भंढाणा के एक किसान परिवार में हुआ। अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् उन्होंने कृषि के साथ-साथ समाज सेवा में गहरी रुचि ली। उन्होंने ग्रामीण लोगों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और वह ग्रामीण विकास में जुटे रहे। उन्होंने अपने इलाके में शिक्षा के प्रसार में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अटेली मण्डी में संजय डिग्री कॉलेज की स्थापना की तथा वह महेन्द्रगढ़ डिग्री कॉलेज के आजीवन सदस्य रहे। लोगों में आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने के लिए उन्होंने वेदांत आश्रम कायम किया।

राव बंसी सिंह ने अपना राजनैतिक जीवन बुनियादी स्तर से प्रारम्भ करके राजनीति की गरिमामय ऊंचाइयों को छूआ। वह वर्ष 1972 में पहली बार अटेली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए और उसके बाद वर्ष 1980 तथा 1991 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से पुनः चुने गए तथा वर्ष 1991 में मन्त्री बने।

राव बंसी सिंह जनसेवा में समर्पित एक नेक इन्सान थे। वह बड़े ही शांत, शिष्ट एवं दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वह जीवन के अन्तिम क्षण तक प्रदेश के लोगों, विशेषतौर पर किसानों, मज़दूरों और कमज़ोर वर्गों, की सेवा में समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक कुशल राजनीतिज्ञ और विवेकशील जन सेवक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[चौधरी भजन लाल]

श्री दिनेश सिंह, केन्द्रीय मन्त्री

यह सदन केन्द्रीय मन्त्री श्री दिनेश सिंह के 30 नवम्बर, 1995 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 19 जुलाई, 1925 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के कालाकांकर में हुआ। वह 1957 में पहली बार लोक सभा के सदस्य चुने गए तथा 1977 तक इसके सदस्य रहे। वह पुनः 1984 तथा 1989 में लोक सभा के लिए चुने गये। वह 1977 से 1982 तक राज्य सभा के सदस्य रहे तथा 1993 में हरियाणा से राज्य सभा के लिए चुने गये। वह वर्ष 1962 से 1966 तक, 1967 से 1971 तक, 1988 से 1989 तक तथा 1993 से निधन तक केन्द्रीय मन्त्री रहे।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहकर देश की सेवा की और विदेशों में भारत की छवि को निखारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में अनेक लेख लिखे व उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ, अनुभवी सांसद, कुशल प्रशासक तथा योग्य राजनयिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री नन्दमूरि तारक रामाराव, आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री

यह सदन आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री नन्दमूरि तारक रामाराव के 18 जनवरी, 1996 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 28 मई, 1923 को हुआ। उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिल्मों में काम करने से पूर्व उन्होंने आन्ध्र प्रदेश सरकार में कुछ समय के लिए नौकरी की। उन्होंने 320 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया। वर्ष 1949 में उनकी पहली फिल्म "मना देसम" का विमोचन हुआ तथा करीब चार दशकों तक वह फिल्मों में नायक रहे। फिल्मों में उनके उत्कृष्ट कार्य तथा सार्वजनिक सेवा के लिए उन्हें वर्ष 1968 में "पदम श्री" की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 1982 में वह राजनीति में आए और वर्ष 1983 से 1989 तक तथा पुनः 1994 में आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री रहे। उन्होंने समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनके निधन से देश कला और संस्कृति के एक व्यक्तित्व, सामाजिक कार्यकर्त्ता, लोकप्रिय राजनेता और कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री प्रकाश चन्द सेठी, भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी के 21 फरवरी, 1996 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 19 अक्तूबर, 1920 को हुआ। वह विधि स्नातक थे। उन्होंने 1942 में "भारत छोड़ो आन्दोलन" में भाग लिया। वह 1961 से 1967 तक तथा 1976 से 1979 तक राज्य सभा के

सदस्य रहे। वह 1967, 1972, 1980 तथा 1984 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वह वर्ष 1962 से 1972, 1975 से 1977, 1980 से 1981 तथा 1982 से 1984 तक केन्द्रीय मंत्री पद पर रहे। वह वर्ष 1972 से 1975 तक मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। उन्होंने विदेशों में कई भारतीय शिष्ट मंडलों का नेतृत्व किया।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री देव कान्त बरूआ, बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल

यह सदन बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल श्री देव कान्त बरूआ के 28 जनवरी, 1996 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 22 फरवरी, 1914 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई बार जेल गए। वह 1949 से 1951 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। वह 1950 में अस्थाई संसद के सदस्य थे। वह 1952 से 1957 तक तथा 1977 से 1979 तक लोक सभा तथा 1973 से 1977 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह 1957, 1962 तथा 1967 में आसाम विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा 1962 से 1966 तक स्पीकर तथा मन्त्री पदों पर भी रहे। उन्होंने 1971 से 1973 तक बिहार के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। वह 1973 से 1974 तक केन्द्रीय मन्त्री भी रहे। वह 1974 से 1977 तक इण्डियन नैशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे।

उनके निधन से देश एक महान स्वतन्त्रता सेनानी, प्रशासक तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

राव राम नारायण, हरियाणा के भूतपूर्व मन्त्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मन्त्री राव राम नारायण के 23 जनवरी, 1996 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली जुलाई, 1913 को हुआ। उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1936 से तहसीलदार के पद पर कार्य किया और 1945 में पी0सी0एस0 पदोन्नत हुए। वह 1977 तथा पुनः 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1978 में पहली बार मन्त्री बने तथा पुनः 1987 से 1990 तक मन्त्री पद पर रहे। उन्होंने समाज सेवा के अनेक कार्य किये।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक तथा प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री प्रताप सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रताप सिंह के 4 अक्तूबर, 1995 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 25 दिसम्बर, 1919 को हुआ। उन्होंने 1942 में जेल विभाग में सहायक अधीक्षक के पद पर नौकरी आरम्भ की। वह वर्ष 1966 में स्वैच्छिक रूप से सेवा-निवृत्त हो गए तथा 1967 में

[चौधरी भजन लाल]
राजनीति में आए। वह वर्ष 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए तथा 1972 तक इसके सदस्य रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री दया कृष्ण, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दया कृष्ण के 12 दिसम्बर, 1995 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली फरवरी, 1915 को हुआ। वह 1946 से 1948 तक जींद रियासत की विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1958 से 1966 तक पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे। वह 1967 तथा 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। उन्होंने सामाजिक तथा शैक्षिक समितियों तथा संस्थाओं में कई पदों पर कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक सामाजिक कार्यकर्त्ता तथा विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

राजकुमारी सुमित्रा देवी, हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या

यह सदन हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या राजकुमारी सुमित्रा देवी के 7 दिसम्बर, 1995 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 28 अगस्त, 1912 को हुआ। वह 1957 तथा 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा की तथा 1967 व 1968 में हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनी गईं। उन्होंने महिलाओं के उत्थान में गहरी रुचि ली।

उनके निधन से राज्य एक समाज सुधारक तथा विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौधरी पोकर मल, सामाजिक कार्यकर्त्ता

यह सदन सामाजिक कार्यकर्त्ता चौधरी पोकर मल के 16 फरवरी, 1996 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

वह 68 वर्ष के थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ। वह एक महान् सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उनकी समाज के कार्यों में गहन रुचि थी। वह 1983 से 1988 तक आदमपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष रहे तथा पुनः 1991 में इस पंचायत समिति के अध्यक्ष बने। वह 1995 में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष चुने गये।

उनके निधन से राज्य एक सामाजिक कार्यकर्त्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती भागवानी देवी, सामाजिक कार्यकर्त्ता

यह सदन हरियाणा के दिवंगत नेता चौ0 छोटूराम जी की सुपुत्री व हरियाणा विधान सभा के

माननीय सदस्य चौ0 बीरेन्द्र सिंह की माता श्रीमती भागवानी देवी के 4 फरवरी, 1996 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। वह समाज सेवा में समर्पित रहीं।

उनके निधन से राज्य एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्त्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ईश्वर चन्द्र, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य सचिव

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री ईश्वर चन्द्र के 19 फरवरी, 1996 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 मई, 1924 को हुआ। वह विधि स्नातक थे तथा उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया था। वह 1951 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। उनमें सराहनीय प्रशासनिक गुण थे और वह राज्य तथा केन्द्रीय सरकार में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। उन्होंने 1977 से 1978 तक भारत सरकार में अपर सचिव, गृह के पद पर कार्य किया। उन्होंने 1980 से 1981 तक वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा एवं 1981 से 1982 तक हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कैप्टन रोहित कौशल, एक वीर सैनिक

यह सदन वीर सैनिक कैप्टन रोहित कौशल के 10 नवम्बर, 1995 को हुए दुःखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 5 अगस्त, 1968 को हुआ। वह देश की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता प्रदर्शित करते हुए जम्मू व कश्मीर के डोडा ज़िला में गंदोह इलाके में उग्रवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए।

उनके निधन से देश एक वीर तथा साहसी सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने यह जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। यह जो डबवाली की घटना हुई है, वह दिल हिला देने वाली थी। मैंने स्वयं वहां पर जाकर देखा, सारे ज़िले में और प्रदेश में मातम छाया हुआ था। अब तो सी०बी०आई० की फाईंडिंग भी आ गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहूँगा कि वहां पर जिस मैटिरियल का कपड़ा इस्तेमाल हुआ था, उस प्रकार के कपड़े का प्रयोग सारे प्रदेश में बैन कर देना चाहिए बल्कि प्रधानमंत्री जी को भी लिखा जाए कि इस प्रकार के कपड़े का प्रयोग सारे देश में बंद कर देना चाहिए। वहां पर कई अध्यापक, बच्चे, उनके माता-पिता तथा अन्य रिश्तेदार आए हुए थे जिनकी वहां पर मौत हुई। मैं उन सबके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।

इसी प्रकार राव बंसी सिंह जी जो पिछले सैशन में यहां पर हमारे साथ बैठे हुए थे, वे आज हमारे बीच में नहीं रहे। अब वे मंत्री के पद पर थे और पहले एम०एल०ए० भी रहे थे। मैं उनके परिवार के प्रति गहरा दुःख प्रकट करता हूँ।

[चौधरी बंसी लाल]

अध्यक्ष महोदय, श्री दिनेश सिंह जी, केन्द्रीय मंत्री थे। वे पंडित जी की मिनिस्टरी में भी रहे। वे अपने निधन तक केन्द्रीय मंत्री रहे। अब उनका स्वर्गवास हो गया, मैं उनके शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

इसी तरह से श्री एन०टी०रामाराव थे जिन्होंने पहले फिल्मी दुनिया में नाम कमाया और वहां बहुत कामयाब रहे। जब वे राजनीति में आए तो राजनीति में भी वे बहुत ही कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह का एक योद्धा उठ जाता है तो महसूस भी होता ही है। इसलिए मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, श्री प्रकाश चन्द सेठी थे जो पहले पार्लियामेंट के मैम्बर रहे, दिल्ली में मिनिस्टर रहे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे एक बहुत ही सज्जन, नेक और भले इंसान थे। इतनी इतनी अच्छी जगहों पर रहते हुए भी वे एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे। उनके निधन से मुझे बड़ा भारी दुख हुआ है। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार से श्री देव कान्त बरूआ जी थे जो कि फ्रीडम फाइटर भी रहे, एम०एल०ए० भी रहे, एम०पी० भी रहे तथा आसाम विधान के स्पीकर भी रहे। वे बाद में बिहार के राज्यपाल भी रहे। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। इसी तरह से राव राम नारायण जी थे जो पहले सिविल सर्विस में थे और उसके बाद वे राजनीति में आए थे। वे हरियाणा विधान सभा के एम०एल०ए० भी रहे। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से श्री प्रताप सिंह जी थे जो पहले गवर्नमैंट सर्विस में थे और फिर वे राजनीति में आए तथा एम०एल०ए० भी बने। वे एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार से श्री दया कृष्ण जी थे जोकि बाबू दया कृष्ण के नाम से जाने जाते थे। वे एक नेक और भले इंसान थे। उन्होंने अपनी जिन्दगी में कभी किसी का भी बुरा नहीं किया। सब तरफ से उनको रिसपैक्ट मिलती थी। उनके परिवार के प्रति भी मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राज कुमारी सुमित्रा देवी जी थीं। वे राव बहादुर बलवीर सिंह जी की सुपुत्री थी। वे ज्वाईंट पंजाब तथा बाद में हरियाणा विधान सभा की एम०एल०ए० भी रहीं। वे सोशल सर्विस भी करती थीं और मैं समझता हूँ कि उनका कोई भी शत्रु नहीं था और उनको हर पोलिटिकल पॉर्टी के लोग सम्मान दिया करते थे। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। इसी तरह से चौधरी पोकर मल थे जो कि सोशल सर्विस किया करते थे। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से श्रीमती भागवानी देवी जो कि चौधरी छोटूराम जी की बेटी थीं और हमारे इस सदन के मान्यवर बुजुर्ग चौधरी नेकीराम जी की धर्म पत्नी थीं तथा इसी सदन के आनरेबल मैम्बर चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की माता थीं। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह एक संयोग की ही बात है कि उनके पिता भी रैवेन्यु मिनिस्टर रहे, उनके पति भी रैवेन्यु मिनिस्टर रहे और उनके बेटे यानी चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी भी रैवेन्यु मिनिस्टर रहे तथा और भी अच्छी अच्छी जगहों पर रहे। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वह थोड़ा ही है। मुझे उनके स्वर्गवास का पता नहीं चल पाया और न ही मैं इस बारे में अखबारों में पढ़ पाया। मुझे तो आज ही पता चला कि वे अब नहीं रहीं। मैं चौधरी नेकीराम जी जोकि हमारे बुजुर्ग हैं और भाई बीरेन्द्र सिंह जी के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार श्री ईश्वर चन्द्र जो कि सैक्रेटरी भी रहे, कमिश्नर भी रहे और हरियाणा के चीफ सैक्रेटरी भी रहे, के परिवार के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार से श्री रोहित कौशल के

परिवार के प्रति भी मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूँ। मगर मैं साथ ही मुख्यमंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि पिछले सैशन के और इस सैशन के बीच में जम्मू कश्मीर और नागालैण्ड में जो जो भी इस तरह से सोलजर्ज मारे गये हैं उन सभी के नाम भी इस शोक प्रस्ताव में इन्कलूड करके इसमें लिख दें क्योंकि यह फौजियों का प्रदेश है। अगर इस शोक प्रस्ताव में केवल एक का ही नाम लिख देंगे तो बाकियों को भी यह बात महसूस होगी इसलिए मैं इतनी बात कह कर ही मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

डॉ० राम प्रकाश (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, इक्वाली आग्निकांड में जो बेशुमार जानें गई हैं उसने तमाम प्रान्त का दिल दहलाया है और इस हृदय विदारक हादसे में 438 नहीं बल्कि सात सौ के लगभग मौतें हुई हैं । समाजसेवी संस्थाओं के कुछ लोगों ने घर-घर जाकर के आँकड़े इकट्ठे किए हैं । (विघ्न)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह शोक प्रस्ताव है, बहस का मुद्दा नहीं है। इसलिए मैं इतनी ही बात कह सकता हूँ कि जो आंकड़े दिए हैं उनके बारे कल सदन में दे देंगे । 438 मौतें ही हुई हैं यह रिकार्ड की बात है । यूं० ही 700 कहने के कोई मायने नहीं हैं और यह अच्छा भी नहीं लगता कि इसको बहस का मुद्दा बनाया जाए ।

डॉ० राम प्रकाश : मैं भी इसे बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ । सदन के सदस्यों को मरने वालों की लिस्ट दे दी जाए ताकि हम उसके बाद बाकी नामों के बारे में आपको सूचित कर सकें और बाकी लोगों को राहत राशि दी जा सके । यह एक बहुत दुःखद घटना है । इस पर जितना खेद प्रकट किया जाए उतना ही कम है ।

अध्यक्ष महोदय, राव बंसी सिंह एक मिलनसार,हंसमुख और सबके साथ मिलकर काम करने वाले भले इंसान थे। उनके जाने से हरियाणा प्रांत को भारी क्षति हुई है ।

इसी प्रकार श्री दिनेश सिंह जी ने अलग-अलग पदों पर रहकर भारत वर्ष का जो मान बढ़ाया है, वह अत्यधिक सराहनीय है । उन्होंने देश के लिए बड़ा काम किया और अंतिम दिनों में वे केन्द में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते थे।उनकी दुखद मृत्यु पर भी मैं इस शोक प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री एन० टी० रामाराव ने हिन्दुस्तान की राजनिति में एक नया रंग भरा था। एक नयी विचारधारा को लेकर उन्होने काम किया था। यह देश उनसे बहुत आशाएं रखता था। उनके दुःखद निधन पर हम उनके परिवार के साथ और उस पूरे प्रदेश के साथ गहरी सहानुभूति प्रकट करते हैं।

श्री प्रकाश चंद सेठी एक सुलझे हुए राजनैतिक व्यक्ति थे।उन्होने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया और केन्द्र में अलग-अलग पदों पर रहकर सेवा की।

श्री देव कांत बरूआ जी जहां एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक अच्छे सांसद थे वहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अपने ढंग से सेवा की है। उनकी मौत से एक अच्छा राजनयिक व्यक्ति इस देश ने खोया है।

राव राम नारायण जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे।चाहे वे किसी भी पद पर क्यों न रहे हों लेकिन अभिमान ने उनको छुआ भी नहीं था। वे आम आदमी की तरह से जीवन व्यतीत करने वाले एक सीधे-साधे इंसान थे जो हर एक के सुख-दुख को अपना सुख-दुख मानते थे। ऐसे व्यक्ति के जाने से हरियाणा को क्षति हुई है।

इसी प्रकार से मैं श्री प्रताप सिंह, बाबू दया कृष्ण, राजकुमारी सुमित्रा देवी जी तथा चौधरी पोकर मल जी के देहावसान पर भी हार्दिक दुख प्रकट करता हूँ। माता भागवानी देवी जी के निधन से हरियाणा

[डॉ० राम प्रकाश]

के इतिहास का एक अध्याय समाप्त हुआ है। वे एक बहुत बड़ी शख्सियत थीं। जैसे चौधरी बंसी लाल जी ने फर्माया वे एक महान पिता की महान सुपुत्री थीं। वे एक बहुत नेक और ईमानदार पति की पत्नी थीं और एक जुझारु बेटे की मां थीं। ऐसी देवी के तीन रूप होते हैं, मां का, पत्नी का और बेटी का। तीनों रूपों में उनकी जो भूमिका थी वह अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। वह बहुत बड़े बाप की बेटी थी। उन्होंने वे संस्कार लिए, सर छोटू राम से। जिस आदमी ने कभी अपने जीवन में अन्याय के साथ समझौता नहीं किया, मजदूर किसानों की इस तरह सेवा की, मां बाप ने भले उसका नाम छोटू राम रखा लेकिन हरियाणा के लोगों ने उनको छोटा राम कह कर पुकारा है। माननीय चौधरी नेकी राम अन्याय के साथ लड़ने वाले, बुराई के साथ समझौता न करने वाले व्यक्ति थे। हर पद पर आसीन रहने के बावजूद एक आम ग्रामीण की तरह रहने वाले व्यक्ति को उनकी पत्नी के रूप में माता जी ने जो सहयोग दिया वह भी बहुत सराहनीय है। मां का जीवन उस वक्त सफल होता है जब वह एक अच्छे सपूत को देश को और समाज को अर्पित करती है। मैं समझता हूं कि पूज्य माता जी का तीनों रूपों के अन्दर योगदान और उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। उनके चले जाने से हमें बहुत भारी क्षति पहुंची है। वह एक ऐसी मां थी जो किसी के बारे में नैगेटिव चिन्तन या किसी के बारे में यह सोचे कि यह आदमी झूठ बोल सकता है या यह गलत कह सकता है। ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। श्री ईश्वर चन्द्र जी ने प्रशासकीय ढंग से हरियाणा की सेवा की है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। इसी तरह से कैप्टन रोहित कौशल की भी बहुत दुःखद मौत हुई। एक तरफ तो उसके विवाह पत्र छप रहे थे जिनको बांटने की जगह शोक पत्र बांटने पड़े। एक तरफ जहां विवाह के लिए कपड़े सिलाए जा रहे थे और वह कपड़े जो विवाह में पहनने थे उनकी जगह घर में लाना पड़ा कफन का कपड़ा। एक तरफ उसके मां बाप रोज इन्तजार कर रहे थे कि कब बेटा विवाह के लिए छुट्टी पर आएगा लेकिन माता पिता के लिए यह कितने दुख की बात है कि उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने बहादुर बेटे की लाश दिखेगी। मौत जिस घर का दरवाजा खट खटाती है उनको पता लगता है कि मौत क्या है बाकियों के लिए तो केवल श्रद्धांजलि देने की बात होती है। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा में एक बड़ी हृदय विदारक मौत हुई है जिसने हरियाणा के लोगों को दहला दिया है। उस वजह से आज सुरक्षा की भावना बढ़ी है। हरियाणा के जिस व्यक्ति ने एक प्रोफैसर के रूप में सेवा की थी वह आज कल हिमाचल विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं। उनकी धर्म पत्नी उषा कुंडु की निर्ममता से हत्या की गई। उनके सुपुत्र हरियाणा की पुलिस सेवा में हैं। उनकी माता की हत्या की जितनी निन्दा की जाए उतनी कम है। मैं यह समझता हूं कि जो विश्वविद्यालय एक पढ़ने पढ़ाने का ठिकाना था, जो विश्वविद्यालय शिक्षा का एक मंदिर था, वहां पर उनकी हत्या हुई।

श्री अध्यक्ष : आप हत्या के बारे में बात बाद में कर लेना इस समय आप शोक की बात करें।

डॉ० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मैंने शोक के सिवाय कोई बात नहीं कही है। मैं यह चाहता हूँ कि उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल किया जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में जोड़ दिया जाए।

डॉ० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, जिस तरह से मैं दूसरे महानुभावों के बारे में कहना चाहता हूँ उसी तरह से इनके बारे में कहना चाहता हूँ। दो तीन दिन तक उनकी मौत का भी पता नहीं लगा। आज भी उनके कातिल फरार हैं। मैं उस देवी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करता हूँ। उस देवी ने एक अध्यापिका के रूप में हरियाणा प्रदेश की सेवा की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उस देवी

की आत्मा को शांति प्रदान करे। इन शब्दों के साथ मैं इस शोक प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : स्पीकर साहब, मेरा एक सुझाव है। अभी आदरणीय सदस्य डॉक्टर राम प्रकाश जी बोल रहे थे। इनके छोटे भाई श्री धीरू राम की मौत 9 दिसम्बर को राजौंद के पास कार बस की टक्कर में हो गई। मेरा सदन के नेता से अनुरोध है कि उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल किया जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शमिल कर दिया जाए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : स्पीकर साहब, श्री शीला भादरा सैलानी ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे । वे नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के पर्सनल सैक्रेटरी भी रहे और संसद सदस्य भी रहे, उनकी भी मौत हो गई है। सदन के नेता से मेरा अनुरोध है कि इस शोक प्रस्ताव में उनका नाम भी शामिल किया जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Hon'ble members, I also associate myself with the feelings expressed by the leaders of different parties about the sad demise of the departed souls. डबवाली अग्नि कांड का केवल हरियाणा सूबे को ही दुख नहीं है बल्कि पूरे देश को दुख है। ऐसी दुर्घटना पहले सिर्फ चीन में दो दफा सिनेमाओं में हुई हैं जिनमें लगभग 600-600 बच्चे सिनेमाओं के अन्दर ही जल गए। उसके बाद यह डबवाली की बड़ी भारी दुर्घटना हुई है। हम सबको उससे सबक लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमैंट और सैंट्रल गवर्नमैंट को ऐसी इंस्ट्रक्शंज जारी करनी चाहिएं कि ब्याह शादियों के मौके पर और किसी आम फंक्शंज के मौकों पर पहले से ही ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं न हों और लोगों को सुरक्षा की पूरी-पूरी व्यवस्था मिले। जिस मैटीरियल को आग बहुत ही जल्दी पकड़ती है वह मैटीरियल ऐसे मौकों पर न लगाएं। डबवाली अग्नि कांड के पीड़ितों को सरकार जो भी सहायता कर सकती थी वह सरकार ने की है। सभी पार्टीज के नेता वहां पर गए। राव बंसी सिंह जो हमारे यहां तीन दफा एम०एल०ए० रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। वे सोशल वर्कर थे। उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना भी की और एक अनाथ आश्रम की स्थापना भी की। उन्होंने विशेष करके पिछड़े लोगों और किसानों के लिए काफी काम किए। श्री दिनेश सिंह कालाकांकर के राजा के पुत्र थे। श्री दिनेश सिंह पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और श्री राजीव गांधी के वक्त में मंत्री रहे।

विदेशो में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ऐवेन्यू में भी काम किया। हमारे वे विदेश मंत्री थे। आखिर में उनकी कुछ सेहत खराब हो गई थी।

श्री एन० टी० रामाराव के निधन का भी सभी को दुख है। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया। वे एक अच्छे एक्टर रहे हैं। वे आन्ध्र प्रदेश के दो बार मुख्य मंत्री बने। उनके निधन से भी सारे देश को बड़ा भारी दुख है।

श्री पी० सी० सेठी भी सैन्टर में कई बार मन्त्री रहे। वे 1972 से 1975 तक मध्यप्रदेश के मुख्य मन्त्री भी रहे। वे एक अच्छे सोशल वर्कर थे। उनके निधन का भी सभी को दुख है।

श्री डी० के० बरूआ बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल थे। वे असम असैंबली के स्पीकर रहे और वहां मंत्री भी रहे। उन्होंने कई अलग-अलग पदों पर काम किया। उनके निधन का भी हम सब को दुख है।

[श्री अध्यक्ष]

राव राम नारायण जी तहसीलदार भी रहे। वे एक पी० सी० एस० अफसर थे। वे यहां पर मंत्री भी रहे और राज्य बिजली बोर्ड के सैक्रेटरी भी रहे है।वे एक सोशल और समाजसेवी व्यक्ति थे।उनके निधन का सभी को गहरा दुख है।

श्री प्रताप सिंह भी इस विधान सभा के मैम्बर रहे। उनके निधन का भी सभी को बड़ा भारी दुख है।

श्री दया कृष्ण भी एक अच्छे एडवोकेट रहे हैं। उन्होंने पैप्सू में भी कार्य किया। वे पंजाब विधान परिषद् के सदस्य रहे। वे हरियाणा में भी 1967 के अन्दर सदस्य चुने गए थे। उनके निधन का सभी को दुख है।

राजकुमारी सुमित्रा देवी एक राजघराने से संबंध रखती थीं। वे पंजाब और हरियाणा विधान सभा की सदस्या रहीं। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य किया।उनके निधन का भी सभी को दुःख है।

श्री पोकर राम जी एक समाजसेवी थे। वे ब्लाक समिति के दो वार चेयरमैन चुने गए। उनके निधन का सभी को दुःख है। वे विश्नोई समाज के अध्यक्ष भी रहे।

श्रीमती भागवानी देवी चौधरी छोटू राम जी की सुपुत्री थीं और वीरेन्द्र सिंह जी जो हमारे साथी हैं, उनकी माता थी।उन्होंने समाज सेवा के लिए बहुत कार्य किया।उनके निधन का भी हम सभी को दुःख है।

श्री ईश्वर चन्द्र एक आई० ए० एस० अफसर थे। वे हमारे चीफ सैक्रेटरी भी रहे। उन्होंने सैंटर में भी अलग-अलग पदों पर काम किया। उनके निधन का सभी को दुःख है।

कैप्टन रोहित कौशल का भी इस संसार से जाने का हम सभी को दुःख है। इसी प्रकार से जो दूसरे साथी-जवान चाहे वे पाकिस्तान के उग्रवादियों के हाथों जम्मू कश्मीर में मारे गए या ईस्टर्न स्टेटस में मारे गए हैं, उन सब के मारे जाने का दुःख है।

श्रीमती उषा कुण्डू के निधन का भी सभी को दुःख है।उनके पति श्री कुण्डू पहले कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर थे और आजकल हिमाचल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। उनके निधन का भी दुःख है।

इसी तरह से जो दूसरे स्वतन्त्रता सेनानी और योग्य प्रशासक व समाज सेवी इस संसार से चले गए हैं उन सब के बारे में जो भी संवेदना जो सहानुभूति एंव दुःख मैम्बर साहेबान ने इस हाऊस में जाहिर किया है, वह मैं दिवंगत के परिवारों को कम्वे कर दूंगा।

Now, I request you to stand for two minutes in silence.

(At this stage the house stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of deceased.)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट 438 आदमियों की मैम्बर महानुभाव ने चाही थी, वह मेरे पास आ गई है। डा0 राम प्रकाश जी अगर उस लिस्ट को देखना चाहें तो देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इनको अलग से दिखा देना।

घोषणाएं-

(क) अध्यक्ष द्वारा-

(i) सदस्यों के त्यागपत्र संबंधी.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under proviso to rule 58(1) of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana Lagislative Assembly, I have to inform you that Sarvshri Mani Ram, Sampat Singh, Zile Singh, Suraj Bhan, Ram Kumar Katwal, Satbir Singh Kadian, Dariyao Singh, Amar Singh, Om Parkash, Jaswinder Singh, Dhirpal Singh, Jai Pal, Krishan Lal, Bharath Singh, Ramesh Kumar and Balwant Singh, M.L.As have resigned their seats in the Haryana Legislative Assembly vide their letters dated 1st November, 1995 and their resignations were accepted on 2nd November, 1995.

(ii) सभापतियों के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of chairmen :-

1. Smt. Chandravati
2. Shri Mani Ram Keharwala
3. Prof. Chhattar Singh Chauhan
4. Prof. Ram Bilas Sharma

(iii) याचिका समिति :

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on petitions under rule 286 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

1.	Shri Sumer Chand Bhatt,	Ex-Officio Chairman Deputy Speaker
2.	Shri Brij Anand	Member
3.	Shri Mani Ram Keharwala	Member
4.	Prof. Chhattar Singh Chauhan	Member
5.	Shri Mohan Lal Pippal	Member

(ख) सचिव द्वारा

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए विलों संबंधी।

Mr. Speaker : Now the Secretary will make announcement.

सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 1995 से सितम्बर, 1995 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय

[सचिव]

ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

MARCH SESSION, 1995

*1. The Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill, 1995.

2. The Haryana Affiliated Colleges (Security of Service) Amendment bill, 1995.

SEPTEMBER SESSION, 1995

1. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 1995.
2. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill 1995.
3. The Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, 1995.
4. The Haryana Service of Engineers, Class I, Public Works Department (Buildings and Roads Branch), (Public Health Branch) and (Irrigation Branch), respectively Bill, 1995.
5. The Punjab Courts (Haryana Amendment) Bill, 1995.
6. The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1995.
7. Guru Jambheshwar University, Hisar Bill, 1995.
8. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1995.

विज़नैस एडवाइज़री कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 10.00 a.m. on Monday, the 26th February, 1996, in the chamber of the Hon'ble Speaker

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 p.m. and adjourn at 6.30 p.m. and on Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday at 9.30 a.m. and adjourn at 1.30 p.m.without question being put.

However, on Monday, the 26th February,1996, the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of Business entered in the list of business for the day.

The Committee also recommends that on Wednesday, the 6th March, 1996, Assembly shall meet at 2.00 p.m. and adjourn at 6.30 p.m. The Committee further recommends that on Tuesday, the 12th March, 1996, Assembly shall meet at 2.00 p.m. and adjourn after the conclusion of the business entered in the list of business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business from 26th February, 1996 to Ist March,1996, from 6th March to 8th

March, 1996 and on 12th March, 1996 be transacted by the Sabha as under :-

THE HOUSE WILL MEET IMMIDIATELY HALF AN HOUR AFTER THE CONCLUSION OF THE GOVERNOR'S ADDRESS ON THE 26TH FEBRUARY, 1996	1. Laying of a copy of the Governor's Address on the Table of the House 2. Obituary References. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 5. Presentation of Four Preliminary Reports of the Committee of Privilges and extension of time for presentation of the final Reports thereon.
TUESDAY, THE 27TH FEBRUARY, 1996 (9.30 A.M.)	1. Question Hour. 2. Presentation of Supplementary Estimates for the year 1995-96 and the Report of the Estimates Committee thereon. 3. Disussion on the Governer's Address.
WEDNESDAY , THE 28TH FEBRUARY, 1996 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumpsion of discussion on the Governor's Address and Voting on Motion of thanks. 3. Dicussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 1995-96.
THURSDAY, THE 29TH FEBRUARY, 1996 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Non Official Business.
FRIDAY, THE FIRST MARCH, 1996 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Official Resolution. 3. Appropriation Bill in repect of Supplementary Estimates for the year 1995-96. 4. Legislative Business.
SATURDAY, THE 2ND MARCH, 1996	OFF DAY
SUNDAY, THE 3RD MARCH, 1996	HOLIDAY
MONDAY, THE 4TH MARCH, 1996	OFF DAY
TUESDAY, THE 5TH MARCH, 1996	HOLIDAY
WEDNESDAY, THE 6TH MARCH, 1996 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 30. 3. Presention of Budget Estimates for the year 1996-97.

[Mr. Speaker]

THURSDAY, THE 7TH MARCH, 1996 (9.30 a.m.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Assembly Committee Reports. 3. General Discusstion on Budget Estimates for the year 1996-97.
FRIDAY, THE 8TH MARCH, 1996 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 1996-97 and reply by the Finance Minister. 3. Discussion and Voting on Demands for grants on the Budget Estimates for the year 1996-97.
SATURDAY, THE 9TH MARCH, 1996	OFF DAY
SUNDAY, THE 10TH MARCH, 1996	HOLIDAY
MONDAY, THE 11TH MARCH, 1996	OFF DAY
TUESDAY, THE 12TH MARCH, 1996 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha *sine-die.* 4. Presentation of Assembly Committee Reports. 5. Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1996-97. 6. Legislative Business. 7. Any other Business.

Mr. Speaker : Now, Agriculture Minister may move the motion that this house agrees with the recommendations contained in the first report of the Business Advisory Committee.

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the first report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the first report of the Business Advisory Committee.

चौधरी बंसी लाल (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़े ताज्जुब की बात है कि एक दिन तो हम राज्यपाल महोदय के ऐड्रैस पर डिस्कशन करेंगे और अगले दिन उस पर वोटिंग होगी। फिर अगले दिन बजट पर जनरल डिसकशन होगी और उससे अगले दिन उस पर जवाब आ जाएगा। फिर एक दिन ऐप्रोप्रिएशन बिल आ जाएगा और वह पास हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आखिर यह पूरे साल का हिसाब है, लेखा जोखा है। बाढ़ के मुआवजे के बंटवारे के काम में बहुत गड़बड़ है। सड़कें भी नहीं खुलीं और नहरों में भी पानी नहीं मिलता। जहां पर किसी को ऐप्रोप्रिएट पानी न मिल रहा हो और जहां पर इतनी गड़बड़ चल रही हो वहां पर एक दिन तो क्या कम से कम तीन दिन तो डिस्कशन के लिए होने ही चाहिएं।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजनलाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी को खुली छूट है जितने दिन ये बोलना चाहें बोल लें। इसी तरह से अन्य मैम्बर्ज भी जितना चाहें उतना बोल लें कोई बैन नहीं है। हम सारा मार्च भी सैशन चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं।

चौधरी बंसी लाल : ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं लेकिन कहीं ऐसा न हो कि फिर स्पीकर साहब बाद में हाऊस को एडजर्न करके भाग जाएं।

चौधरी भजन लाल : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सबमिशन है कि 8 तारीख को जो रिजम्पशन ऑफ जनरल डिस्कशन ऑन बजट ऐस्टीमेट्स है, उसके बाद जो अगली जरूरी आईटम है वह डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांडज़ है। डिमांडज़ पर बोलने के लिए अगर आप जनरल डिस्कशन से ज्यादा समय देते हैं तो हर मैम्बर हर डिमांडज़ पर अपने-अपने तरीके से अपने अपने इलाके की बात कह सकता है। यह तो एक फौरमैलिटी हो जाएगी कि बजट पर जनरल डिस्कशन होगी और जनरल डिस्कशन के बाद आप एकदम डिमांडज ले लेंगे और फिर अगले दिन ऐप्रोप्रिएशन बिल आ जाएगा। मतलब यह कि डिमांडज के लिए कोई समय निर्धारित नहीं, कोई दिन निर्धारित नहीं कोई घंटे निर्धारित नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी, आप तो इतने सालों से इस असैम्बली में हैं। जब आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा तब आपको इस बारे में पता लगेगा कि कौन सी चीजें कितनी जरूरी हैं। (विघ्न) ऐसा समय भी जरूर आएगा। चौधरी भजनलाल जी आप तो लोकसभा में भी रहे हैं इसलिए कम से कम आपको तो इस बारे में पता होना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, या तो यहां व्यवस्था इस प्रकार की हो कि यहां पर भी संसद की तरह स्टैंडिंग कमेटीज हों ताकि डिमांडज पर डिस्कशन की ज्यादा जरूरत न हो। यह दोनों चीजें बड़ी जरूरी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक दिन कम से कम डिमांडज़ के लिए अलग से रखा जाए ताकि हम अपनी बात जोरदार तरीके से हर मद के ऊपर रख सकें। दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ वह यह है कि आपने 29 तारीख को नॉन-ऑफिशियल डे रखा हुआ है लेकिन आप पीछे का पूरे 3-4 सैशन का इतिहास उठाकर देखें, हमेशा नॉन-आफिशियल डे को आफिशियल डे में कन्वर्ट कर दिया गया और ऑफिशियल बिजनैस ट्रांजैक्ट होता रहा। आगे 7 तारीख को थर्सडे है उस दिन भी जनरल डिस्कशन बजट के ऊपर तय की हुई है। यह तो ठीक है कि हाउस की कंसैंट से उस दिन किसी भी कार्यवाही को कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन इसमें कमेटी की रिपोर्ट यह है कि सात तारीख को नॉन आफिशियल डे की जरूरत नहीं है। जो लोग सदन में अपनी बात किसी बिल के द्वारा या किसी रैजोल्यूशन के द्वारा रखना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और आश्वासन चाहूंगा कि दोनों थर्सडे नॉन-ऑफिशियल डे ही रखे जांएं और उनको कन्वर्ट न किया जाए। जो बिजनैस आपने रखना है उसको आगे या पीछे कर सकते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, जो सुजैशंज श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने रखे हैं, मैं उनका अनुमोदन करता हूं। 29 तारीख का दिन गैर सरकारी काम के लिए रखा हुआ है। उसमें एक तो शिक्षा के बारे में माननीय श्री मनी राम केहरवाला जी का प्रस्ताव है और दूसरा प्रस्ताव मैंने दिया हुआ है कि आगरा नहर का नियंत्रण हरियाणा सरकार अपने हाथ में ले। यह प्रस्ताव पिछले दो साल से दिया हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इसकी कहने की जरूरत नहीं है, जब मौका आएगा तब बात करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा अहम मुद्दा है। इस बारे में हम आपसे यह

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

आश्वासन चाहते है कि 29 तारीख को वह प्रस्ताव पारित करके उत्तर प्रदेश की सरकार को भेज दिया जाए जिससे हमारे इलाके के किसानों का भला होगा।

डॉ० राम प्रकाश (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, मै पिछले पांच साल से यह बात देख रहा हूं कि हर बार सदस्यों की मांग रहती है कि अधिवेशन ज्यादा दिन चले लेकिन इसमें अमल यह होता है कि अगली बार का अधिवेशन 1-2 दिन और कम कर दिया जाता है। पिछली बार बजट अधिवेशन जितने दिन का था इस बार उसे घटा कर 9 दिन का कर दिया गया है। मेरी आशंका है कि अब अगले हफ्ते हम बैठेंगे तो फ्राइडे को यह कह दिया जाएगा कि आगे 12 तारीख का एक दिन का बिजनैस है इसलिए यह भी आज ही निपटा लिया जाए और इस तरह 12 तारीख की भी छुट्टी कर दी जाएगी । जो प्रारंभ में आपने सर्कुलेट किया उसमें 9 तारीख तक का सैशन कर रखा था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि थर्सडे जो नॉन आफिशियल डे है इसको सदन में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी और काम के लिए अगर बहुत बड़ी जरूरत हो तो ऐसा किया जा सकता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पहले वाला प्रोग्राम टैन्टेटिव था और फाईनल पास आज हुआ है।

डा० राम प्रकाश : बिजनैस ट्रांजैक्ट करने के जो रूल्ज है उनमें लिखा है कि वीरवार नॉन आफिशियल डे होगा लेकिन अगर सदन चाहे तो उसमें फेर बदल कर सकता है। आज तो कमेटी की रिपोर्ट में 29 तारीख को नॉन आफिशियल डे है कहीं बाद में इसे न बदल दिया जाए। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जब हम लोग गवर्नर एडरेस पर या बजट पर अपनी बात कहने लगेंगे तो उस समय बार- बार यह कहा जाएगा कि इस तरफ ज्यादा मैम्बर्ज हैं इसलिए इन्हें ज्यादा टाईम मिलना चाहिए। दूसरी तरफ कम मैम्बर हैं इसलिए वे एक एक या दो दो मिनट बोलें। वैसे आज सदन के नेता ने अश्योर तो किया है कि जब तक मैम्बर बोलना चाहे बोल लें। उन्होंने कहा है कि मैम्बर जितना चाहें बोल लें उसके लिए चाहे मार्च का सारा महीना सैशन क्यों न चले। इस बात पर कितना अमल किया जाएगा, इस बारे में अगले हफ्ते पता चलेगा। इस रिपोर्ट में एक दिन गवर्नर एडरेस पर और एक दिन बजट पर बहस करने की बात है, यह ठीक नहीं है। डिमांडज पर कुछ सदस्य कट मोशंज देना चाहेंगे और उस पर अपनी कुछ बातें कहना चाहेंगे लेकिन इस हिसाब से तो भागते भागते बात कहनी पड़ेगी। सदस्य डिमांडज पर गम्भीरता से बात करना चाहेंगे, जो फालतू के खर्चे होते हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। इतने कम समय में जो मुद्दे सदस्य सदन के सामने लाना चाहेंगे वे नहीं लाए जा सकेंगे। इस लिए मैं चाहता हूं कि टाईम बढ़ना चाहिए और अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से यह अश्योरैंस मिलनी चाहिए कि जो जो सदस्य गवर्नर एडरेस पर और बजट पर बोलना चाहेंगे उन्हे बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको अपनी सेहत की वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है लेकिन उसके लिए डिप्टी स्पीकर साहब यहां मौजूद हैं वे आपकी मदद करेंगें।

श्री अध्यक्ष : मेरी सेहत की चिन्ता न करें, वह ठीक है।

चौधरी ओम प्रकाश बैरी (बैरी) : अध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है। मैं कहना चाहूंगा कि बजट सैशन हमेशा लम्बा होना चाहिए क्योंकि इसमें सारे साल के खर्च का मामला होता है। आज प्रदेश के अन्दर तरह तरह की समस्याएं खड़ी हैं। प्रदेश के अन्दर पीछे बाढ़ आई उसकी वजह से सरकार की क्या कार गुजारी रही। बाढ़ राहत कार्य के लिए जो 600 करोड़ रुपया बांटने के लिए घांधली हुई और कई बातें हुई ये सारी बातें विचारणीय हैं। गवर्नर एडरेस जो एक पालिसी

स्टेटमैंट होती है उस पर बहस के लिए एक दिन का समय बहुत कम है। इसके लिए कम से कम तीन दिन का समय होना चाहिए। इसी प्रकार से जब बजट पेश होता है तो उस पर जनरल डिस्कशन के लिए पहले तीन दिन होते थे लेकिन अब केवल डेढ़ दिन में सारी बात बुलाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक डिमांडज पर डिस्कशन करने की बात है इस पर कम से कम दो दिन डिस्कशन होनी चाहिए ताकि हर मैंबर अपने हल्के की डिफिकल्टी के बारे में अच्छे ढंग से अपने विचार प्रस्तुत कर सके। ऐसा करके सदस्य सरकार और जनता की मदद कर सकेंगे। आज प्रदेश में कानून की व्यवस्था चरमरा गई है। आज हवाला कांड के बारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं (शोर) जहां तक नान आफिशियल डे की बात है वह ठीक है, इसके लिए रूल्ज इजाजत देते हैं लेकिन अगर सदन चाहे तो गैर सरकारी दिन को सरकारी दिन में परिवर्तित कर सकता है। यह गैर सरकारी दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक बहुत अच्छा प्रस्ताव दलाल साहब ने पेश किया हुआ है, अगर उस पर विचार हो जाए तो ठीक रहेगा। अन्त में मैं कहूंगा कि जैसे सदन के नेता ने कहा कि कोई मैंबर जितनी देर चाहे बोल सकता है उसके लिए उन्हें चाहे मार्च का सारा महीना सैशन क्यों न चलाना पड़े। इसलिए मैं चाहूंगा कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करके नया टाईम टेबल बना दिया जाए ताकि सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिल जाए। इस तरह से वे प्रदेश की समस्याओं पर भी अपने विचार रख सकेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं और उसका जवाब भी साथ ही आ जाएगा।* * * * * * * * * (शोर)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। * * * * * * * * (शोर)

डा०राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मेरा भी प्वाइंट आफ आर्डर है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। डॉक्टर साहब आप बैठ जाएं। No reference about Hawala Kand. (Interruptions) Doctor Sahab, you kindly speak about the extension of time. No other references should be made at this time. (Noise)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय , आज सुबह बी०ए०सी० की मीटिंग आपकी अध्यक्षता में हुई। अभी चौधरी बंसी लाल जी ने भी बी०ए०सी० की रिपोर्ट के बारे में कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि सैशन का समय बहुत थोड़ा है। सरकार क्यों भाग रही है, सैशन लम्बा चलना चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी अपना समय भूल जाते हैं। ये भी मुख्य मंत्री रहे हैं। ये भी केवल 72 घण्टे में बजट पास करके भाग गए थे। यह रिकार्ड की बात है। केवल तीन दिन ही आपने सैशन चलाया था। हम आपकी तरह से भागने वाले नहीं हैं।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये 72 घण्टे वाली बात गल्त है। ये खुद 24 घण्टे में ही बजट पास करके भागना चाहते हैं।

चौधरी भजन लाल : 72 घण्टे के तीन दिन कब बनते हैं और आपने तीन दिन ही उस समय सैशन चलाया था। जब आप मुख्य मंत्री थे उस समय मैं भी मंत्री होता था। हो सकता है उसमें हम भी दोषी हों

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[चौधरी भजन लाल]

क्योंकि उस समय मैं आपकी कैबिनेट में था। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी के मैम्बर हैं। ये एक बार उस मीटिंग में आए थे और किसी भी मीटिंग में नहीं आए। ये पिछली मीटिंग में नहीं आए और आज जो मीटिंग हुई उसमें भी नहीं आए। आप मैम्बर हैं। आप बी०ए०सी० की मीटिंग में आते और अपने सुझाव देते। अब कहते हैं कि समय कम है, बढ़ाया जाना चाहिए तो उस पर भी उस समय विचार करते। हाऊस में तो सभी को बोलने का अधिकार है। बी०ए०सी० की मीटिंग में आने या न आने का आपकी अपनी मर्जी का मामला है, धक्के देकर तो हम ला नहीं सकते। मैं अब भी कहता हूं कि यदि समय बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो एक आध दिन का समय बढ़ाया भी जा सकता है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नही है। (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : आपने तो जो नॉन आफिशियल डे था उसको भी आफिशियल डे में बदल दिया।

चौधरी भजन लाल : एक ही रैजोल्यूशन पिछले 4-5 सैशनों से चला आ रहा है। उसमें हम ने एक दिन तो नॉन आफिशियल डे रखा है और जो दूसरा नॉन आफिशियल डे पड़ता है उसको बदला है। वह भी इस लिए बदलना पड़ रहा है कि तकरीबन सारे मैम्बर उस प्रस्ताव पर बोल चुके हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : आप उसको संबंधित सदस्य से कहकर वापिस करवा लें।

चौधरी भजन लाल : मैम्बर को कोई प्रस्ताव रखने न रखने का अधिकार है। हम उसको कैसे दबाव दे सकते हैं। हमने तो इसलिए ऐसा किया है कि हाउस का समय बरबाद न हो और खर्च ज्यादा न हो। इस लिए कन्बर्ट किया है। हम जनता के पैसे से यहां पर बैठे हुए हैं। (विघ्न) सदस्य जितना बोलना चाहें बोल सकते हैं। डिमांडज़ पर भी जितना बोलना चाहें बोल सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर हमें दो दिन तक सैशन बढ़ाना पड़ा तो बढ़ा सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

चौधरी बंसी लाल : यदि आप अपनी बात पर कायम हैं तो सैशन का समय अभी बढ़ा दो। बाद में कहीं आप मुकर न जाओ। डा० राम प्रकाश जी ठीक कह रहे थे कि आप बाद में मुकर जाएंगे। आप तो अभी बदल रहे हैं। आप अपनी बात पर कायम हैं तो बढ़ा दो। फिर क्यों नही बढ़ा रहे। आप फिर हमारे बोलने पर समय की पाबंदी लगाएंगे।

चौधरी भजन लाल : समय देने का अधिकार तो स्पीकर साहब का है। उन्हने देखना है कि किस विषय पर किसको कितना समय देना है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी इनके दो मैम्बर बुलवाकर फिर आपको ही खुला समय देंगे, जितना चाहें बोल लेना।

चौधरी बंसी लाल : अब तो आप कह रहे हैं लेकिन बाद में समय हमें नहीं मिल पाता। पिछले सैशन में मैं पर्सनल एक्स्प्लेनेशन के लिए समय मांगता रहा लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया।

* * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी आप बैठिए। आप सभी को बोलने का पूरा समय दिया जाएगा।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नही किया गया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सैशन की अवधि को कम करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार का डर कर भागने का कोई इरादा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप अपनी इच्छा के मुताबिक जितना मुनासिब समझें सब को टाईम दें। अगर सैशन को एक-दो दिन बढ़ाना पड़ेगा तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा।

डा० राम प्रकाश : * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : डा० राम प्रकाश जी, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं। इन्होंने जो कहा है वह रिकार्ड में किया जाए।

चौधरी भजन लाल : पार्टीज़ के नेता जितना बोलना चाहेंगे उन्हें बोलने का पूरा मौका अध्यक्ष महोदय देंगे। बाकी के जो मैम्बर साहेबान हैं उनको कण्ट्रोलड बोलने देंगे।

श्री अध्यक्ष : पार्टीज़ के नेता तो जितना समय चाहेंगे उन्हें देंगे। जो मैम्बर साहेबान हैं उनको कण्ट्रोल में बोलने का समय दिया जाएगा ताकि वे अपनी बात हाऊस में रख सकें।

चौधरी बंसी लाल : बोलने के लिए कोई ऐसा एक्ट तो है नहीं जिससे आप मैम्बर्ज को समय देने का कोई पैरा मीटर फिक्स कर सकें। अध्यक्ष महोदय, सभी मैम्बर साहेबान को बोलने का पूरा समय मिलना चाहिए ताकि वे हाऊस में कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे सकें और अपने हल्के की बात भी रख सकें।

श्री अध्यक्ष : बोलने के लिए टाईम तो मिलेगा ताकि मैम्बर साहेबान अपनी बात रख सकें।

डा० राम प्रकाश : नॉन आफिशियल रैज्योल्यूशन भी तो गवर्नमैंट के सदस्य का है। उस पर भी टाईम कण्ट्रोलड ही दिया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डा० राम प्रकाश जी, आप बैठें।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, आपने जो मैम्बर्ज को बोलने के लिए समय देने की बात कही है उस बारे हाऊस के नेता की ओर से भी कोई एश्योरैंस आनी चाहिए। (विघ्न) आपने जो टेंटेटिव बिजनैस फिक्स किया था उसमें 9 तारीख का दिन बिजनैस के लिए मुकर्रर किया था।

श्री अध्यक्ष : वह अब काट दिया गया है। 7 तारीख को नान आफिशियल डे था उसको आफिशियल डे में कन्वर्ट कर दिया गया है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, कल सुबह बिजनैस एडवाईज़री कमेटी की मीटिंग बुला लें और उसमें सारा बिजनैस फिर से तैयार कर लिया जाए।

Mr. Speaker : Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker : Now the Agriculture Minister will lay/relay papers on the Table of the House.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : Sir, I beg to lay on the table :-

The Guru Jambheshwar University, Hisar (Amendment) Ordinance, 1995 (Haryana Ordinance No. 10 of 1995).

Sir, I beg to re-lay on the table—

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 38/Const./Art. 320/Amd.(3) /95, dated the 18th April, 1995 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1995 as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No.G.S.R. 56/Const./Art.320/Amd.(1)/95, dated the 28th July 1995 regarding the Amendment in the Haryana Government, General Administration Department Notification No.G.S.R.1/Const./Art. 320/Amd. (4) 95, dated the 4th January, 1995 as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No.G.S.R. 57/Const./Art. 320/Amd. (2)/95, dated the 28th July, 1995 regarding the Amendment in the Haryana Government, General Administration Department, notification No. G.S.R. 2/Const./Art. 320/Amd. (5)/95, dated the 4th January, 1995 as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No.G.S.R. 58/Const./Art. 320/Amd. (4)/95, dated the 28th July, 1995 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fourth Amendment Regulations, 1995 as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 39/H.A. 20/73/S.64/95, dated the 21st April, 1995 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1995 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 47/H.A. 20/73/S.64/95, dated the 9th June, 1995 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1995 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 48/H.A. 20/73/S.64/95, dated the 14th June, 1995 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1995 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Sir, I beg to lay on the table—

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 91/H.A. 20/73/S.64/95, dated the 6th December, 1995 regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1995 as required under Section 64

(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No.G.S.R.5/H.A.20/73/S.64/96,dated the 16th January, 1996 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1996 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Food and Supplies Department Notification No. G.S.R.41/C.A. 54/85/S.72/95, dated the 12th May 1995 regarding the Haryana Standards of Weights and Measures (Enforcement) Rules, 1995 as required under Section 72 (5) of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985.

The Revenue Department Notification No. G.S.R.86/H.A.13/1994/S.15/95, dated the 3rd November, 1995 regarding the Haryana Kisan Pass Book Rules, 1995 as required under sub-section (3) of section 15 of the Haryana Kisan Pass Book Act, 1994.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R.9/Const./Art.320/Amd.(1)/96, dated the 9th February, 1996 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1996 as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R.10/Const./Art.320/Amd.(2)/96, dated the 9th February, 1996 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 1996 as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1992-93 as required under section 39 (3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1994-95 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of Government of Haryana for the year 1994-95 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1995 No. 1 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1995 No. 3 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

[Shri Harpal Singh]

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1995 No. 2 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(i). श्री सम्पत सिंह, उस समय के एम०एल०ए० तथा प्रतिपक्ष के नेता के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now, Shri Sher Singh, M.L.A. Chairman Privilages Committee will present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privilages on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Mani Ram Keharwala, M.L.A. against Sh. Sampat Singh, the then M.L.A. and Leader of Opposition in respect of casting aspersions and reflection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks in his statement published in various newspapers on 4th March, 1993.

Chairman, Privileges Committee (Shri Sher Singh) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Mani Ram Keharwala, M.L.A. against Shri Sampat Singh the then M.L.A. and Leader of Opposition in respect of casting aspersions and reflection on the impartiality of the Speaker and using derogatory remarks in his statement published in various newspapers on 4th March, 1993.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

चौधरी वीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, प्रो० सम्पत सिंह जी जो कि इस हाउस के सदस्य नहीं रहे हैं, यह प्रिवलेज उनके खिलाफ था। अब जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वे कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं जिससे स्टेट के एक्सचैकर पर बोझ पड़े। अब सम्पत सिंह जी तो मैम्बर रहे नहीं हैं और प्रिवलेज कमेटी के सदस्य मीटिंग करके भत्ता वसूल करेंगे जिससे स्टेट को नुक्सान होगा। इस लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सम्पत सिंह जी के खिलाफ इस मामले को ड्राप करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है।

Mr. Speaker : Question is —

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next session.

The motion was carried.

(ii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now Shri Sher Singh, M.L.A., Chairman, Privileges Committee will present the sixth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Ram Rattan, M.L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. for using abusive and threatening language to kill and intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties in the presence of Sarvshri Mohd. Ilyas, Shakrullah Khan, Mahender Pratap Singh, Raj Kumar, Dharmbir Gauba, Joginder Singh, Mani Ram Keharwala and Chhattarpal Singh etc. in the lobby of the House at about 3.00 P.M. on the 11th March, 1993.

Chairman, Privileges Committee (Shri Sher Singh) : Sir, I beg to present the Sixth Preliminary Report of the Committee of Privilages on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Ram Rattan, M.L.A. against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. for using abusive and threatening language to kill and intimidate him in relation to the discharge of his parliamentary duties in the presence of Sarvshri Mohd. Ilyas, Shakrullah Khan, Mahender Pratap Singh, Raj Kumar, Dharmbir Gauba, Joginder Singh, Mani Ram Keharwala and Chhattarpal Singh etc. in the lobby of the House at about 3.00 P.M. on the 11th March, 1993.

Sir, I also beg to move -

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Question is -

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The motion was carried.

(iii) श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now Shri Sher Singh, M.L.A., Chairman, Privileges Committee will present the fourth Preliminary Report of the Committee of Privilages on the matter in regard to the question of alleged breach of privilages given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana against Shri Karan Singh Dalal. M.L.A.,in respect of persisting to level false and baseless allegations against the leader of the House on palpable falsehood deliberately and knowingly with an ulterior motive when the factual position was already clarified by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House.

Chairman, Privileges Committee (Shri Sher Singh) :Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in

[Shri Sher Singh]

regard to the question of alleged breach of Privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs Haryana against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. in respect of persisting to level false and baseless allegations against the Leader of the House on Palpable falsehood deliberately and knowingly with an ulterior motive when the factual position was already clarified by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House.

Sir, I beg to move—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The Motion was carried.

(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, उस समय के एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Shri Sher Singh, Chairman, Committee of Privileges will present the Third Priliminary Report of the Committee of Privilages on the matter in regard to the question of allrged breach of privilages given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana, against Shri Om Prakash chautala, the then M.L.A. for making false and wrong statement on the floor of the House on 14th September, 1994, that he was honourably acquitted in the case of Seizure of Watches by the Custom authorities.

Chairman, Privileges Committee (Shri Sher Singh) : Sir, I beg to present the Third Preliminary Report of the Committee of Privilages on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs, Haryana, against Shri Om Parkash chautala, the then M.L.A. for making false and wrong statement on the floor of the House on 14th September, 1994, that he was honourbly acquitted in the case of Seizure of Watches by the Custom authorities.

Sir, I beg to move—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Mr. Speaker : Question is -

That the time for the presentation of the final report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow the 27th February, 1996.

* 16.57 hrs. (The Sabha then * adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday the 27th February, 1996).

27426—HVS—H.G.P., Chd.